31 ekp] 2013 dk lekIr o"k d fy, y[kk d Hkkx d :Ik e vu lfp;k

fVIi.kh l[;k ^^1**

¼d½ fuxfer lpuk

एअर इंडिया लि. विलयित कंपनी का प्रतिनिधित्त्व करती है जो कि पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि. और पूर्व एअर इंडिया लि. के दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को हुए विलय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है। विलयित कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) के नाम से जानी जाती थी। दिनांक 24.11.2010 से कपंनी का नाम बदलकर ''एअर इंडिया लि.'' कर दिया गया। कंपनी भारत और विश्व भर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के विमान बेड़े में विमानों की व्यापक रेंज उपलब्ध है जिसमें मुख्य रूप से एयरबस और बोइंग विमान जैसे ए–319, ए–320, ए321, ए–330, बी–747, बी–777, बी–787 विमान सम्मिलित हैं। एयरलाइन उद्योग सामान्यतः आर्थिक मंदी और उसके साथ–साथ उच्च ईंधन लागत से प्रभावित रहा है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक टर्न अराउंड योजना (टीएपी) और एक वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) को अपनाया/कार्यान्वित किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन के लिए सैप–ईपीआर प्रणाली को कार्यान्वित किया। एकीकरण की तिथि तक कंपनी के दोनों वाइड बॉडी तथा नैरो बॉडी प्रचालनों के लिए लेखों को अलग–अलग रखा जा रहा था जिन्हें जनवरी, 2013 से सैप–ईआरपी में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

¼[k½ y[kk ifjikVh

i) यह वित्तीय विवरण, मूल लागत रीतियों के तहत प्रोद्भूत आधार पर (विशेष रूप से स्पष्ट किए गए कथन को छोड़कर), गोईंग कन्सर्न अवधारणा पर तैयार किए गए हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं।

ii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन को उन आकलनों और मान्यताओं को निर्धारित करना अपेक्षित होता है जो वित्तीय विवरण की तिथि के दिन परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की राशि तथा आकस्मिक देयताओं की प्रस्तुति और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं, उसी समय वास्तविक परिणाम और आकलनों के बीच का अंतर भी पता चल पाता है।

iii) सेवा सेक्टर में होने के कारण कोई निर्धारित प्रचालन साइकिल नहीं है। कंपनी अधिनियम 1956 के संशोधित शेड्यूल–VI के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को 'प्रचालन साइकिल' के रूप में अपनाया गया है।

¼x½ egÙoi.k y[kk uhfr;k

1½ fLFkj ifjlifÙk;k

i) क) विमान को खरीद मूल्य पर दर्शाया जाता है।

ख) विमानों के रोटेबल्स सहित अन्य परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं और इन्हें मूल लागत में दर्शाया जाता है।

ग) ब्याज सहित अन्य प्रासंगिक लागत, जहां लागू हों, को भी वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक दर्ज किया जाता है।

ii) दक्षता/जीवन चक्र को बढ़ाने के उद्देश्य से विमानों में किए गए प्रमुख आधुनिकीकरण/परिवर्तन/रूपांतरण पर होने वाले व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

iii) लीज़ पर लिए गए विमान बेड़े और उपस्कर अधिकतर जिनके स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ कंपनी को स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें वित्तीय लीज़ के रूप में लिया जाता है और पूंजीकृत किया जाता है।

iv) परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन हर दो वर्ष में एक बार हो जाए तथा सत्यापन के समय पाई गई विसंगतियों को उसी वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है जिस वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो।

v) निवल मूल्यह्रास मूल्य से अधिक विमान सहित स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री/स्क्रैप से होने वाले लाभ या घाटे को प्रचालनेत्तर राजस्व या व्यय के रूप में लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

2- eY;gkl

(क) सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर लगाया जाता है।

(ख) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य में अपनाई गई दरें कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में हैं :–

i) बोईंग के नए विमान बेड़े और ए–320 श्रेणी के विमानों पर 16.96 वर्षों के बजाए 20 वर्षों के लिए ब्लॉक मूल्य का 95% तक मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ii) एयरबस श्रेणी से संबंधित विमान रोटेबल्स पर संबंधित इंजीनियरी बेस के विमान बेड़े के शेष औसत उपयोगी जीवन पर खरीद के संबद्ध वर्ष के लिए मूल्य के 95% तक का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

iii) बोइंग से संबंधित विमान रोटेबल्स पर संबंधित विमान बेड़े के शेष औसत उपयोगी जीवन पर खरीद के संबद्ध वर्ष के लिए मूल्य के 95% का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

iv) विद्युत फिटिंग, टाइपराइटर तथा कार्यालय उपकरण, अन्य सामान्य उपस्कर तथा केबिन कैटरिंग उपस्कर पर उनके 95% मूल्य तक 4.75% के स्थान पर 6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

v) मोटर कारों पर उनके 95% मूल्य तक 9.5% के स्थान पर 20% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

vi) "रोटेबल्स" तथा "अन्य स्थिर परिसंपत्तियों" में वृद्धि पर मूल्यह्रास अर्जन के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

(ग) लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों पर किए गए प्रमुख परिवर्तनों/नवीनीकरण, आधुनिकीकरण/ रूपांतरण को लीज़धारी परिसंपत्तियों में सुधार के तहत दर्शाया जाता है तथा उसका लीज़ अवधि में परिशोधन कर लिया जाता है।

(घ) निरंतर चलने वाली लीज़ के अतिरिक्त, लीज़धारी भूमि का परिशोधन, लीज़ अवधि में कर लिया जाता है।

(ङ) ऐसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां जिनकी उपयोगी किफायती लाइफ होती है उनका परिशोधन अनुमानित उपयोगी समय में कर लिया जाता है।

(च) प्रत्येक मामले में 5000/–रुपए से कम की परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान या चार्जड ऑफ किया जाता है।

3- fuos'k

दीर्घकालिक निवेश लागत में से कीमतों में आई स्थायी कमी (यदि कोई है) को घटाकर दिखाया जाता है। वर्तमान निवेश, लागत से कम तथा निष्पक्ष बाज़ार मूल्य पर आंके जाते हैं।

4- bUosaVjh t

i) इनवेंटरीज़ को लागत या नेट रियलाइजेबल वेल्यू (एनआरवी) जो भी कम हो पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण औसत भार फार्मूले पर किया जाता है।

ii) मरम्मत योग्य कलपुर्जे वे होते हैं जिनकी किफायती लाइफ प्रचालन साइकिल से अधिक होती है और जिन्हें मरम्मत के बाद उपयोग में लाया जा सकता है तथा जिन्हें स्क्रैप के समय बेचा जा सकता है तथापि उन्हें चालू परिसम्पत्तियां माना जाता है। बाहरी मरम्मत को तभी प्रभारित किया जाता है जब उस पर व्यय किया गया हो।

iii) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपुर्जों को जारी करने के प्रारम्भिक समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपुर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपुर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर खरीदा जाता है। वर्ष के अंत में, मरम्मत के लिए अपेक्षित विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपुर्जों की अनुमानित लागत को ओपन वर्क आर्डर में सम्मिलित किया जाता है।

iv) विमान भंडार और हिस्से–पुर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

(क) (ख) एवं (ग) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य निवल राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेन्टरी हेतु प्रावधान किया गया है।

ख) फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े के लिए पूर्ण रूप से (वसूली योग्य अनुमानित निवल मूल्य के बराबर) प्रावधान किया जाता है जब तक कि उसका प्रयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सकता हो।

(ग) विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज़ की अप्रचलन व्यवस्था, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर की जाती है।

v) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पुर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरीज़ के लिए अप्रचलन प्रावधान किए गए हैं।

5- fuekZrk _.k

विमान/इंजन निर्माताओं, बायर फर्निशड उपकरण विक्रेताओं, सेलर फर्निशड उपकरण विक्रेताओं से प्राप्त निर्माता ऋणों को, प्राप्त होने पर अग्रिम रूप से नामे में दर्ज कर प्रोद्भवन आधार पर अनुषंगिक राजस्व के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के अग्रिम, उपयोग होने पर, समायोजित किए जाते हैं।

6- jktLo fuèkkZj.k

(क) यात्री, कार्गो तथा मेल राजस्व की पहचान वहन सेवा प्रदान करने पर ही की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रयोग में नहीं लाई गई टिकटों/एयरवे बिलों के मूल्य के अनुमानित प्रतिशत की पहचान राजस्व के रूप में की जाती है जिसका अनुमान उपलब्ध विगत सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ख) अपलिफ्ट अवधि में पुनः जारी करने/धनवापसी/अन्य वाहकों को यात्रियों के अनैच्छिक ट्रांस्फर से हुई हानि अथवा लाभ को भी राजस्व में शामिल किया जाता है।

(ग) कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डाटा के आधार पर ब्लॉक स्पेस व्यवस्थाओं/कोड शेयर राजस्व/व्यय की पहचान वास्तविक आधार पर की जाती है। जहां भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं होता है तो राजस्व/व्यय को प्राप्त दस्तावेज़ों/सूचना के आधार पर बुक किया जाता है तथा आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, को ऐसी सूचना प्राप्त होने के समय किया जाता है।

(घ) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर माना जाता है। जब भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है तो लाभांश को आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ङ) बीमा कंपनियों से प्राप्त दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

(च) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट की पहचान क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर की जाती है।

(छ) वर्ष के दौरान वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व की पहचान की जाती है।

7- lafnX/k _.kksa ds fy, izkoèkku

सरकार, सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब वह 3 वर्षों से अधिक पुराने हों और उनमें वह ऋण सम्मिलित नहीं होते जिनके निश्चित रूप से वसूली योग्य होने की जानकारी है। अन्य सभी ऋणों के लिए, यदि वे 3 वर्षों से अधिक पुराने हों अथवा उनके संदिग्ध होने की जानकारी विशेष रूप से हो, प्रावधान किया जाता है।

8- fons'kh eqnzk ysu&nsu

i) <u>समग्र विदेशी प्रचालनों का विदेशी मुद्रा लेन–देन</u>

(क) समग्र विदेशी प्रचालन से संबंधित राजस्व तथा व्यय का विदेशी मुद्रा में लेन–देन निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर अंतरित किया जाता है।

(ख) परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) <u>विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें</u>

(क) कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2009 तथा तदुपरांत समय–समय पर हुए संशोधनों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 11(एएस–11) से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग के समय उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों का लेखांकन करती है। तद्नुसार पिछले वित्तीय विवरणों में दिए गए या अवधि के दौरान प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर दीर्घ कालिक मैद्रिक मदों की रिपोर्टिंग या समझौते से उत्पन्न विनिमय अंतरों के प्रभाव परिसंपत्तियों की लागत में कटौती या वृद्धि द्वारा लेखांकन करते हैं जहां तक मूल्यह्रास पूंजी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होने पर परिसंपत्तियों की लागत में वृद्धि या कटौती द्वारा तथा अन्य मामलों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तित अंतर लेखा" में अंतरण द्वारा लेखांकन किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में दीर्घकालिक के रूप में पहचान किए गए विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा वर्ष के अंत में परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और विनिमय दर में हुए उतार–चढ़ाव के कारण जो लाभ/हानि हुई है उसे लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(ग) देयता तथा लोन व अग्रिम जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है।

9- lsokfuofÙk ykHk

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में परिभाषित अंशदान योजनाएं और परिभाषित लाभ योजनाएं शामिल हैं।

(क) परिभाषित अंशदान योजनाओं में कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान शामिल हैं। कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान की व्यवस्था के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें नियमित रूप से अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा देय को सरकारी प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है।

(ख) कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाएं जो निधिबद्ध नहीं होतीं, में उपदान, बीमारी छुट्टी तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभों सहित छुट्टी नकदीकरण सम्मिलित हैं। इन लाभों की देयता (नीचे दिए गए 'ग' को छोड़कर) भारतीय कानून के अनुसार वर्ष के अंत में प्रोजैक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत बीमांकिक रूप से निर्धारित की जाती है।

(ग) विदेशी स्टेशनों पर सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में उपलब्ध सूचना के आधार पर संबंधित देशों में प्रभावी स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाता है।

10- _.k ykxr

(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य सहित अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है।

(ख) निधियों पर लगाया गया ब्याज जिन्हें सामान्यतः ऋण पर लिया जाता है और 10.00 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए जिनका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, उन्हें उस समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

11- ifjlaifÙk;ksa dh {kfr

क्षति के लिए प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर, पहचानी गई नकद–उत्पादन इकाई की स्थिर परिसंपत्तियों के कैरिंग मूल्य की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वहां पर क्षति के कोई संकेत हैं। नकद उत्पादन इकाई बनाने हेतु विमानों को विमान बेड़ा प्रकार स्तर पर समूहित किया जाता है ताकि वसूली योग्य राशि (उसके निवल विक्रय मूल्य तथा उपयोग में लाए जा रहे मूल्य से अधिक) की कैरिंग राशि से तुलना की जा सके। विमान बेड़े तथा उपकरण के निवल विक्रय मूल्य का आकलन प्रबंधन द्वारा उपलब्ध प्रकाशित स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। यदि नकद–उत्पादन इकाइयों का कैरिंग मूल्य उनकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक होता है तो उसकी क्षतिपूर्ण हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है और नकद–उत्पादन इकाई का परिसंपत्ति मूल्य उनकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाता है।

12- ipkyuxr yht

(क) ऐसी लीज़, जहां पट्टादाता लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों के स्वामित्त्व के सभी जोखिम और लाभ प्रभावी रूप से अपने पास सुरक्षित रखता है उसे प्रचालनगत लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा वर्ष के लिए देय लीज़ किरायों को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(ख) लीज़ अवधि के दौरान जिस अनुरक्षण में वृद्धि होने की संभावना है, उसके लिए अनुरक्षण आरक्षित हेतु पट्टादाताओं को दिया गया अंशदान पूर्वदत्त व्यय के रूप में माना जाता है। इस अंशदान को व्यय में तब समायोजित किया जाता है जब अनुरक्षण व्यय में वृद्धि होती है तथा पट्टादाता को विमान की पुनः सुपुर्दगी के मामले में अनुरक्षण आरक्षित की शेष राशि को व्यय के तौर पर प्रभारित किया जाता है। अनुरक्षण आरक्षित के लिए अन्य सभी अंशदानों को उसके भुगतान के वर्ष में राजस्व से अलग दर्शाया जाता है।

13- dekfMVh gftx yu&nu

कमोडिटी हैजिंग कांट्रैक्ट को उनके निपटान की तिथि पर लेखाकृत किया जाता है और निपटान कांट्रैक्ट के संबंध में वसूले गए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

14- vk; ij dj

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई कर दरों और विधियों का प्रयोग करके बहीखातों और कर योग्य लाभों के बीच के समय के अंतर के आधार पर आस्थगित कर की पहचान की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जिससे वास्तव में कंपनी की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय पुनः संरचना, राजस्व अर्जन तथा लागत कटौती कार्यक्रम के आधार पर यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

15- gt ipkyu

हज बैलॉट यात्रियों को ले जाने के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय हेतु भारत सरकार तथा केन्द्रीय हज़ समिति से प्राप्त राशि को अन्य प्रतिभागी एयरलाइनों को किए गए भुगतान के चार्टर राजस्व के रूप में लेखाकृत किया जाता है। प्रशासनिक ओवरहैड तथा विलम्ब भुगतान प्रभारों के रूप में बिल की गई राशि को प्रासंगिक राजस्व के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

16- ikoèkku] vkdfLed n;rk, rFkk vkdfLed ifjlifÙk;k

(क) मापन में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है तथा यह संभावना होती है कि संसाधनों का आउटफ्लो होगा।

(ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में, प्रत्येक मामले में 0.1 मिलियन रुपए से अधिक प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो पहचान की जाती है और न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

17- ÝhDoV ¶yk;j dk;Øe

कंपनी एक संयुक्त फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम चलाती है जिसमें एकत्रित किए गए माइलेज़ प्वाइंटों के आधार पर अपने सदस्यों को निःशुल्क टिकटें प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों की सुख–सुविधाएं तथा कानूनी देयता (यदि कोई है) का प्रावधान किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

18- vU; n;rk,

तीन वर्ष से अधिक पुरानी देयताओं को पुनरांकित किया जाता है, जब तक कि ऐसी देयताएं भविष्य में देय होने के लिए विशेष रूप से ज्ञात न हों।

19- iolinÙk 0;;@0;;k dh n;rk

पूर्वप्रदत्त व्यय/व्ययों की देयता की निम्नानुसार पहचान की जाती है :–

(क) विदेशी स्टेशन– प्रत्येक मामले में 50,000/– रुपए और उससे अधिक

(ख) घरेलू स्टेशन – प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए और उससे अधिक

uksV ^^2** % 'ks;j iwath

¼#i;s fefy;u esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
ikf/kÑr		
10 रुपए प्रत्येक के 11,000.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष : 3,500.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**110,000.0**	35,000.0
100 रुपए का प्रेफरेन्स शेयर – कोई नहीं (पिछले वर्ष : 750.0 मिलियन प्रेफरेन्स शेयर)	**-**	75,000.0
	110,000.0	110,000.0
tkjh] vfHknÙk vkSj iw.kZ iznÙk 'ks;j		
10 रुपए प्रत्येक के 9.345.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्षः 3,345.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**93,450.0**	33,450.0
dqy	**93,450.0**	33,450.0

2-1 *यह कंपनी सरकारी कंपनी है जिसमें नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रपति तथा उनके नामिति के 100% शेयर हैं।*

2-2 *उपरोक्त में से, एकीकरण के पश्चात वर्ष 2007–08 के दौरान 144.95 मिलियन इक्विटी शेयर जारी किए गए।*

2-3 *रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ व समाप्त होने के समय बकाया शेयरों की संख्या का मिलान निम्नानुसार है :–*

fooj.k	¼'ks;jksa dh la[;k fefy;u esa½		¼'ks;jksa dh la[;k fefy;u esa½	
	2012-13	*2011-12*	***2012-13***	*2011-12*
अवधि के प्रारंभ में इक्विटी शेयर	*3,345.0*	*2,145.0*	*33,450.0*	*21,450.0*
जमाः अवधि के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	*6,000.0*	*1,200.0*	*60,000.0*	*12,000.0*
अवधि के अंत में इक्विटी शेयर	***9,345.0***	3,345.0	***93,450.0***	33,450.0

2-4 वर्ष के दौरान कंपनी ने 100 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 750.0 मिलियन प्रेफरेन्स शेयरों को 10/– रुपए प्रति शेयर मूल्य के 750.0 मिलियन इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया तथा उन्हें वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप कर दिया जिसे दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को आयोजित शेयर धारकों की असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदित कर दिया गया।

2-5 bfDoVh 'ks;jksa ls lac) 'krsZa@vf/kdkj

कंपनी के पास एक ही प्रकार की शेयर पूंजी है जो इक्विटी शेयर के रूप में है तथा जिसका मूल्य 10/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश घोषित करती है तथा उसका भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश का अनुमोदन शेयर होल्डरों द्वारा आगामी वार्षिक साधारण बैठक में किया जाता है।

कंपनी के समापन पर इक्विटी शेयर धारक, सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के बाद कंपनी की शेयर परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। शेयर होल्डर के स्वामित्व में इक्विटी शेयर होंगे उसी के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

ukV ^^3** % vkjf{kr ,o vfèk’k"k

¼#i;s fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
1. vkjf{kr iwath		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1,258.3**	804.7
जोड़कर : वर्ष के दौरान जमा	**-**	489.2
घटाकर : मूल्यह्रास से कमी के रूप में लाभ–हानि खाते में अंतरण (संदर्भ नोट 21)	**55.7**	35.6
vir ’k"k	**1,202.6**	1,258.3
2. ykHk o gkfu fooj.kh e vfèk’k"k@¼?kkVk½		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**(199,140.0)**	(123,542.6)
वर्ष में हानि	**(54,901.6)**	(75,597.4)
ykHk o gkfu fooj.kh e fuoy ?kkVk	**(254,041.6)**	(199,140.0)
dqy **(1+2)**	**(252,839.0)**	(197,881.7)

3-1 स्थिर परिसम्पत्तियों में बी–777 तथा बी–787 सिमुलेटर तथा बोईंग से प्राप्त नागपुर एम आर ओ भूमि की कीमत को पूंजी आरक्षित में क्रेडिट कर दिया गया है। क्रेडिट की गई राशि पर अनुपातिक मूल्यह्रास को पूंजी आरक्षित में प्रभारित किया गया है।

ukV ^^4** % nh?kkofèk _.k

¼#i;s fefy;u e½

fooj.k	xj pkyw		pkyw	
	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
I बांड/डिबेन्चर	**136,000.0**	62,000.0	**-**	-
II मियादी ऋण				
क) बैंक से (रक्षित)	**123,912.5**	114,598.2	**1,302.2**	-
ख) बैंकों से (अरक्षित)	**3,749.2**	4,226.2	**890.6**	6,768.2
ग) अन्य पार्टियों से (रक्षित)	**-**	-	**-**	144.0
घ) अन्य पार्टियों से (अरक्षित)	**217.3**	211.7	**8.6**	8.0
III वित्त लीज़ बाध्यताएं	**117,796.4**	125,184.4	**15,778.7**	15,501.4
dqy	**381,675.4**	306,220.5	**17,980.1**	22,421.6

4-1 ckM@fMcUpj

भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त प्रत्येक 1 मिलियन रुपए के अंकित मूल्य के 136,000 रिडिमेबल, अरक्षित, अपरिवर्तनशील डिबेन्चरो (गत वर्ष : 62,000 डिबेन्चर) को भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है। परिपक्वता अवधि तथा ब्याज की दर निम्नानुसार है :–

¼#i, fefy;u eas½

ifjiDork dh vofèk	31-3-2013 dks fd'rksa dh l[;k	ifj'kksèku ij ns; jkf'k	C;kt nj	31-3-2013 dks cdk;k fd'rksa dh jkf'k
दिसम्बर, 2031	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2031	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
सितम्बर, 2031	लागू नहीं	15,000.0	10.05%	शून्य
दिसम्बर, 030	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2030	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
दिसम्बर, 2029	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2029	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
दिसम्बर, 2028	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2028	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
दिसम्बर, 2027	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2027	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
सितम्बर, 2026	लागू नहीं	40,000.0	9.84%	शून्य
मार्च, .2020	लागू नहीं	7,000.0	9.13%	शून्य
	dqy	**136,000.0**		

4-2 cSadks ls jf{kr iquLkZjfpr fe;knh _.kksa dk fooj.k fuEukuqlkj gS&

¼#i, fefy;u eas½

Øe la-	fjLVªDpfjax [kkrk	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
1	इलाहाबाद बैंक	2,906.9	2,664.2
2	आन्ध्रा बैंक	3,513.0	3,201.6
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	13,089.9	11,989.0
4	बैंक ऑफ इंडिया	15,768.0	14,279.0
5	केनरा बैंक	8,532.8	7,819.5
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9,302.8	8,525.5
7	कार्पोरेशन बैंक	7,565.1	6,928.9
8	देना बैंक	1,377.5	1,252.2
9	दी फेडरल बैंक लिमिटेड	1,850.6	1,647.2
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	4,360.5	3,996.3
11	इंडियन बैंक	4,356.2	3,991.0
12	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	7,109.4	6,556.2
13	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	8,891.9	8,152.5
14	पंजाब नेशनल बैंक	12,252.4	11,311.5
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	2,760.6	2,531.0
16	भारतीय स्टेट बैंक	6,731.6	6,165.0
17	सिंडिकेट बैंक	6,409.8	5,861.3
18	यूको बैंक	5,814.1	5,328.5
19	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,621.6	2,397.8
	dqy	**125,214.7**	114,598.2

उक्त बैंकों के सभी मियादी ऋण निम्नलिखित 28 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं (गत वर्ष 29 विमान, 12 अचल परिसंपत्तियां तथा सभी चालू परिसंपत्तियां)। तथापि 12 अचल परिसंपत्तियों हेतु बैंकों के साथ न्यायसंगत बन्धक पत्र तैयार किया जाना शेष है।

,;jØk¶V

1) ए310–एफ/वीटी–ईक्यूटी 2) ए319/वीटी–एससीपी 3) ए319/वीटी–एससीक्यू 4) ए319/वीटी–एससीआर 5) ए319/वीटी–एससीएस
6) ए319/वीटी–एससीटी 7) ए319/वीटी–एससीयू 8) ए319/वीटी–एससीवी 9) ए319/वीटी–एससीडब्ल्यू 10) ए319/वीटी–एससीएक्स
11) ए320/वीटी–ईएसए 12) ए320/वीटी–ईएससी 13) ए320/वीटी–ईएसडी 14) ए320/वीटी–ईएसई 15) ए320/वीटी–ईएसएफ
16) ए320/वीटी–ईएसजी 17) ए320/वीटी–ईएसआई 18) ए320/वीटी–ईएसजे 19) ए320/वीटी–ईएसके 20) ए320/वीटी–ईएसएल
21) ए320/वीटी–ईडीसी 22) ए321/वीटी–पीपीएन 23) ए321/वीटी–पीपीओ 24) ए321/वीटी–पीपीक्यू 25) ए321/वीटी–पीपीवी
26) ए321/वीटी–पीपीडब्ल्यू 27) ए321/वीटी–पीपीएक्स 28) बी787–800/वीटी–एएनएच

vpy lEifÙk;k¡

1) पुराना एयरपोर्ट कलीना, मुम्बई में बिल्डिंग,
2) एअर इंडिया बिल्डिंग, नारीमन पाइंट, मुम्बई
3) सीआईडीसीओ प्लाट, नेरूल, नवी मुम्बई में भूमि
4) एनआईटीसी, सांताक्रुज, मुम्बई में बिल्डिंग
5) बाबा खड़क सिंह, नई दिल्ली मार्ग में भूमि
6) स्टाफ क्वाटर – वसंत विहार, नई दिल्ली
7) प्रलवंथगल गांव में फ्रीहोल्ड भूमि तथा आवासीय फ्लैट और आईए स्टाफ हाउसिंग कालोनी, चेन्नै
8) यूनिट सं0 264, 297, 310, 489, 631, 678, 684, 714 एशियाड विलेज काम्पलैक्स, नई दिल्ली
9) डीएलएफ में भूमि, कुतुब एन्कलेव फेज़ –3, गुडगांव, हरियाणा
10) एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़ दिल्ली
11) फ्रीहोल्ड वैकेंट नम्बर 504, अन्नासलाई/थेनमपेट, चेन्नै
12) फ्रीहोल्ड भूमि (सीटीई काम्प्लैक्स) तथा बिल्डिंग, हैदराबाद

बैंकों के सभी रक्षित आवधिक ऋणों के लिए ब्याज दर को संबंधित बैंक की मूल दर/बेस दर/लिबर प्लस मार्जिन से जोड़ा गया है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान तिमाही किश्तों में 31 दिसम्बर, 2013 से आरंभ होकर तथा 30 सितम्बर 2026 के अंत तक किया जाएगा। पुनर्भुगतान किश्त की राशि तथा ब्याज दर का खुलासा पुनर्भुगतान अनुसूची की जटिलता तथा बैंक के साथ ब्याज दर में गोपनीयता शर्त के कारण नहीं किया गया है।

4-3 दिनांक 31 मार्च, 2013 को बैंकों से रक्षित आवधिक ऋण पर देय ब्याज का भुगतान 52.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य) है।

4-4 बैंकों से 4,639.8 मिलियन (पिछले वर्ष 10,994.4 मिलियन रुपए) रुपयों के अरक्षित आवधिक ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा 3,749.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3,513.7 मिलियन रुपए) की सीमा तक दी गई।

¼#i, fefy;u e½

ifjiDork dh vofèk	_.k fd'rk dh l[;k	31-03-2013 dk _.k jkf'k	C;kt nj	31-3-2013 dk cdk;k fd'rk dh jkf'k	31-03-2013 dk n; C;kt dh jkf'k	31-3-2012 dk cdk;k fd'rk dh jkf'k	31-03-2012 dk n; C;kt dh jkf'k
सितम्बर, 16	लागू नहीं	3749.2	लीबर + 1.45/2.5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
फरवरी, 14	5	890.6	बीपीएलआर – 0.50	178.1	11.1	178.1	66.3

4-5 144.0 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष : 841.0 मिलियन रुपए) के अन्य से रक्षित आवधिक ऋण को सैप संबंधी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के आडमान से रक्षित किया गया।

4-6 225.9 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 219.8 मिलियन रुपए) के 'अन्य से अरक्षित आवधिक ऋण' की गारंटी भारत सरकार द्वारा 225.9 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 219.8 मिलियन रुपए) की सीमा तक दी गई।

¼#i, fefy;u e½

ifjiDork dh vofèk	_.k fd'rk dh l[;k	31-03-2013 dk _.k jkf'k	C;kt nj	31-03-2013 dk n; C;kt dh jkf'k
अक्तूबर, 2039	52	155.1	ब्याज रहित	शून्य
मार्च, 2037	48	70.8	ब्याज रहित	शून्य

4-7 133,575.1 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष : 140,685.8 मिलियन रुपए) की वित्त लीज़ बाध्यता की गारंटी भारत सरकार द्वारा 95,955.1 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 109,678.4 मिलियन रुपए) की सीमा तक दी गई।

¼#i, fefy;u e½

ifjiDork dh vofèk	_.k fd'rk dh l[;k	31-03-2013 dk _.k jkf'k	C;kt nj	31-03-2013 dk n; C;kt dh jkf'k
जुलाई, 22	74	17,254.4	लीबर + 0.24	शून्य
सितम्बर, 21	102	34,809.2	लीबर + 0.93	शून्य
फरवरी, 21	32	23,387.0	लीबर + 0.75	शून्य
मई, 20	57	12,079.2	लीबर + 0.05	शून्य
दिसम्बर, 19	107	28,056.1	नियत	शून्य
दिसम्बर, 19	27	17,989.2	लीबर + 0.75	शून्य

4-8 दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता को अन्य चालू देयताओं शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (संदर्भ नोट संख्या 5)।

ukV ^^5** % ns; rk,i

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	vU; nh?kZdkfyd ns; rk,i		vU; pkyw ns; rk,i	
	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक
0;kikj ns;	-	-	**65,555.7**	69,017.3
¼d½	-	-	**65,555.7**	69,017.3
vU; ns; rk,i				
क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-	**2,201.4**	6,920.2
ख) वित्त लीज़ बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वता	-	-	**15,778.7**	15,501.4
ग) उपचित ब्याज किंतु देय तिथि को देय नहीं	-	-	**6,780.6**	3,633.3
घ) उपचित ब्याज और ऋण पर देय	-	-	**298.4**	1,179.6
ङ) फोरवर्ड सेल्स (निवल)(यात्री/कार्गो)	-	-	**18,070.1**	13,881.0
च) ग्राहकों से अग्रिम (निवल)	-	-	**485.8**	28.9
छ) अन्य देयताएं (निवल)	**578.3**	581.5	**29,111.3**	29,850.6
ज) बुक ओवरड्राफ्ट	-	-	**298.2**	344.6
¼[k½	**578.3**	581.5	**73,024.5**	71,339.6
dqy ¼d$[k½	**578.3**	581.5	**138,580.2**	140,356.9

5-1 ट्रेड भुगतान में सहायक कंपनी एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिलिटेड को निवल भुगतान के 19.1 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 66.1 मिलियन रुपए) सम्मिलित हैं।

5-2 दीर्घकालीन ऋण/वित्त लीज़ बाध्यता की वर्तमान परिपक्वता के विवरण को दीर्घकालीन ऋण के अधीन वर्गीकृत किया गया है (संदर्भ नोट सं0 4.8)।

5-3 दीर्घकालीन ऋण की चालू भुगतान निधि में 31 मार्च 2013 को देय बैक के 178.1 मिलियन रुपए का भुगतान (पिछले वर्ष : 178.1 मिलियन रुपए) सम्मिलित है जिसका भुगतान बाद में किया गया। (संदर्भ नोट सं0 4.4)

5-4 ऋण पर देय और उपचित ब्याज जो बैंकों से अरक्षित सावधिक ऋण पर ब्याज है में 31 मार्च 2013 को देय 11.1 मिलियन रुपए का ब्याज सम्मिलित है जिसका भुगतान 2013–14 की पहली तिमाही (पिछले वर्षः 66.3 मिलियन रुपए) में कर दिया गया है। (संदर्भ नोट सं0 4.4)

5-5 बैंकों की मांग पर देय रक्षित ऋण की पुनर्अदायगी और उपचित ब्याज में 31 मार्च 2013–14 तक 235.2 मिलियन रुपए का ब्याज सम्मिलित है (पिछले वर्ष : 1,113.3 मिलियन रुपए) (संदर्भ नोट सं0 7.4)।

5-6 बैंकों की मांग पर देय रक्षित ऋण की पुनर्अदायगी और उपचित ब्याज में 31 मार्च 2013–14 तक 52.1 मिलियन रुपए का ब्याज सम्मिलित है (पिछले वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) (संदर्भ नोट सं0 4.3)।

ukV ^^6** % izko/kku

(रुपए मिलियन में)

fooj.k	nh?kkZof/k izko/kku		vYikof/k izko/kku	
	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक
deZpkjh ykHk grq izko/kku				
क) उपदान	**8,452.4**	7,477.5	**1,351.1**	1,281.8
ख) छुट्टी नकदीकरण	**4,822.2**	4,351.3	**612.1**	769.7
ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा तथा अन्य लाभ	**1,829.8**	1,630.4	**42.6**	53.4
¼d½	**15,104.4**	13,459.2	**2,005.8**	2,104.9
vU; izko/kku				
क) संपत्ति कर	-	-	**18.2**	16.3
ख) फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम	-	-	**145.9**	213.4
¼[k½	-	-	**164.1**	229.7
dqy ¼d+[k½	**15,104.4**	13,459.2	**2,169.9**	2,334.6

ukV ^^7** % vYikofèk _.k

¼#i, fefy;u eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
I. ekax ij _.k vnk;xh %		
क) बैंकों से (रक्षित) */**	**73,645.4**	51,255.4
ख) बैंकों से (रक्षित) **	**14,353.4**	-
ग) बैंकों से (अरक्षित)	**3,606.3**	76,939.7
dqy	**91,605.1**	128,195.1

7-1* बैंकों की मांग पर रक्षिण ऋण की पुनः अदायगी 58,529.7 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष 51,255.4 मिलियन रुपए) बैंकों से रक्षित ऋण का विवरण नीचे दिया गया है :

¼#i, fefy;u eas½

Øe la[;k	yMZj dh lwph	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
1	इलाहाबाद बैंक	**850.0**	850.0
2	आंध्रा बैंक	**1,010.0**	1010.0
3	बैंक ऑफ बडोदा	**3,829.0**	3820.2
4	बैंक ऑफ इंडिया	**6,885.6**	4578.8
5	केनरा बैंक	**4,630.9**	2579.7
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**6,216.5**	3716.5
7	कार्पोरेशन बैंक	**2,210.0**	2210.0
8	देना बैंक	**394.2**	399.0
9	एच डी एफ सी बैंक	**66.5**	164.4
10	फेडरल बैंक लिमिटेड	**542.8**	508.8
11	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	**1,273.4**	1273.4
12	इंडियन बैंक	**1,280.0**	1280.0
13	इंडियन ओवरसिज बैंक	**1,775.5**	2169.2
14	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	**2,597.7**	2597.7
15	पंजाब नेशनल बैंक	**3,634.3**	3425.9
16	पंजाब एंड सिंध बैंक	**806.4**	806.4
17	स्टैंडर्ड चार्टड बैंक	**15,449.5**	13582.6
18	भारतीय स्टेट बैंक	**878.2**	1964.4
19	सिंडिकेट बैंक	**1,867.7**	1867.7
20	यूको बैंक	**1,697.8**	1697.8
21	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	**633.7**	752.9
	dqy	**58,529.7**	51,255.4

7-2** बैंकों की मांग पर रक्षिण ऋण की पुनः अदायगी 15.115.7 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपए)

¼#i, fefy;u eas½

Øe la[;k	yMZj dk uke	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
1	स्टैंडर्ड चार्टड बैंक	**15,115.7**	-
	dqy **(7.1 + 7.2)**	**73,645.4**	51,255.4

*7-1 ds fy, ifrHkkfr C;kjk fuEukuqlkj g%

58,529.7 मिलियन रुपए के ऋण निम्नलिखित 31 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं। तथापि 12 अचल परिसंपत्तियों हेतु बैंकों के साथ न्यायसंगत बन्धक पत्र तैयार किया जाना शेष है।

, ;jØk¶V %

1) ए310–एफ/वीटी–ईक्यूटी 2) ए319/वीटी–एससीपी 3) ए319/वीटी–एससीक्यू 4) ए319/वीटी–एससीआर 5) ए319/वीटी–एससीएस 6) ए319/वीटी–एससीटी 7)ए319/वीटी–एससीयू 8) ए319/वीटी–एससीवी 9) ए319/वीटी–एससीडब्ल्यू 10) ए319/वीटी–एससीएक्स 11) ए320/वीटी–ईएसए 12) ए320/वीटी–ईएससी 13)ए320/वीटी–ईएसडी 14) ए320/वीटी–ईएसई 15) ए320/वीटी–ईएसएफ 16) ए320/वीटी–ईएसजी 17) ए320/वीटी–ईएसआई 18) ए320/वीटी–ईएसजे 19)ए320/वीटी–ईएसके 20) ए320/वीटी–ईएसएल 21) ए320/वीटी–ईडीसी 22) ए321/वीटी–पीपीएन 23) ए321/वीटी–पीपीओ 24) ए321/वीटी–पीपीक्यू 25) ए321/वीटी–पीपीवी 26) ए321/वीटी–पीपीडब्ल्यू 27) ए321/वीटी–पीपीएक्स 28) बी747/वीटी–ईएसपी 29) बी747/वीटी–ईवीए 30) बी747/वीटी–ईवीबी 31) बी787–800/वीटी–एएनएच

vpy lEifÙk %

1) पुराना एयरपोर्ट कलीना, मुम्बई में बिल्डिंग,
2) एअर इंडिया बिल्डिंग, नारीमन पाइंट, मुम्बई
3) सीआईडीसीओ प्लाट, नेरूल, नवी मुम्बई में भूमि
4) एनआईटीसी, सांताक्रुज, मुम्बई में बिल्डिंग
5) बाबा खडक सिंह, नई दिल्ली मार्ग में भूमि
6) स्टाफ क्वार्टर – वसंत विहार, नई दिल्ली
7) प्रलवंथगल गांव में फ्रीहोल्ड भूमि तथा आवासीय फ्लैट और आईए स्टाफ हाउसिंग कालोनी, चेन्नै
8) यूनिट सं0 264, 297, 310, 489, 631, 678, 684, 714 एशियाड विलेज काम्पलैक्स, नई दिल्ली
9) डीएलएफ में भूमि, कुतुब एन्कलेव फेज़ –3, गुडगांव, हरियाणा
10) एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़ दिल्ली
11) फ्रीहोल्ड वैकेंट नम्बर 504, अन्नासलाई/थेनमपेट, चेन्नै
12) फ्रीहोल्ड भूमि (सीटीई काम्प्लैक्स) तथा बिल्डिंग, हैदराबाद

(पिछले वर्षः बैंकों के सभी मियादी ऋण निम्नलिखित 31 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं। तथापि 12 अचल परिसंपत्तियों हेतु बैंकों के साथ न्यायसंगत बन्धक पत्र तैयार किया जाना शेष है)।

7-3** अन्य से मांग पर रक्षित ऋण पर पुनर्भुगतान से 14,353.4 मिलियन रुपए का है (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपए)

¼#i, fefy;u esa½

Øe la[;k	ysaMj dk uke	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
1	बोइंग क्रेडिट कारपोरेशन	**14,353.4**	**-**

**7-2 vkSj 7-3 ds fy, izfrHkwfr C;kSjk fuEukuqlkj gS%

29,469.1 मिलियन रुपए के ऋण को 9 विमानों के आडमान से रक्षित किया गया है। 1) ए320/वीटी–ईडीडी, 2) ए320/वीटी–ईडीई 3) ए320/वीटी–ईडीएफ 4) ए321/वीटी–पीपीयू 5) ए321/वीटी–पीपीटी 6) बी787/वीटी–एएनआई 7) बी787/वीटी–एएनके 8) बी787वीटी–एएनएल 9) बी787वीटी–एएनजे

7-4 दिनांक 31 मार्च, 2013 को बैंको से 73,645.4 मिलियन रुपए के रक्षित ऋण पर देय ब्याज भुगतान 235.2 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 1,113.3 मिलियन रुपए) था। बैंकवार राशि और व्यतिक्रम की अवधि की घोषणा आंकड़ों की जटिलता और बैंकों के साथ किए गए गोपनियता खंड के कारण नहीं की जा रही है (संदर्भ नोट 5.5)।

ukV ^^8** % fLFkj ifjlEifÙk;ka

¼#i, fefy;u esa½

Øe la0	fooj.k	ldy iath				eY;gkl				fuoy iath	
		01 vizSy 2012 dks	vfrfjDr	dVkSrh lek;kstu	31 ekpZ 2013 dks	01 vizSy 2012 rd	o"kZ dk fy,	dVkSrh lek;kstu	31 ekpZ 2013 rd	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
	ewrZ ifjlEifÙk;ka										
d-	foeku cM+k rFkk jksVscYl										
1	एयरफ्रेम अपने स्वामित्व वाले एवं स्वप्रचालित	196,459.2	31,196.0	-	227,655.2	35,706.0	10,663.7	-	46,369.7	**181,285.5**	160,753.3
2	एयरो इंजन तथा पावर प्लांट अपने स्वामित्व वाले एवं स्वप्रचालित	69,355.2	14,686.9	853.0	83,189.1	13,478.6	3,772.2	746.8	16,504.0	**66,685.1**	55,876.6
3	सिमुलेटर तथा लिंक ट्रेनर	1,874.5	550.3	-	2,424.8	390.8	106.6	-	497.4	**1,927.4**	1,483.7
4	एयरफ्रेम रोटेबल्स	3,631.1	913.4	(101.2)	4,645.7	1,220.6	336.6	2.3	1,554.9	**3,090.8**	2,410.5
5	ऐयरो इंजन रोटेबल्स	1,491.7	130.5	(4.0)	1,626.2	397.3	99.2	8.1	488.4	**1,137.8**	1,094.4
6	सिमुलेटर रोटेबल्स	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	**-**	-
	mi tksM+ ¼d½	272,811.8	47,477.1	747.8	319,541.1	51,193.4	14,978.3	757.2	65,414.5	**254,126.6**	221,618.5
[k-	Hkwfe] Hkou rFkk okgu										
1	भूमि – फ्रीहोल्ड	7,059.5	-	25.3	7,034.2	-	-	-	-	**7,034.2**	7,059.4
2	भूमि – पट्टे पर	64,079.5	19.7	-	64,099.2	658.1	117.5	-	775.6	**63,323.6**	63,421.4
3	भवन	17,779.8	675.5	(0.4)	18,455.7	4,049.0	799.7	(0.1)	4,848.8	**13,606.9**	13,730.9
4	वाहन	239.5	3.0	2.1	240.4	178.2	13.0	1.5	189.7	**50.7**	61.2
	mi tksM+ ¼[k½	89,158.3	698.2	27.0	89,829.5	4,885.3	930.2	1.4	5,814.1	**84,015.4**	84,272.9
x-	vU;&fLFkj ifjlEifÙk;ka										
1	कार्यशाला उपस्कर, उपकरण मशीनरी तथा संयंत्र	3,517.3	282.7	248.5	3,551.5	1,267.5	235.4	54.8	1,448.1	**2,103.4**	2,249.8
2	स्थल सहायता तथा रैम्प उपकरण	4,474.0	88.5	9.8	4,552.7	1,702.8	324.6	1.7	2,025.7	**2,527.0**	2,771.2
3	फर्नीचर तथा फिक्सचर	190.0	15.7	1.6	204.1	81.4	13.7	0.8	94.3	**109.8**	108.5
4	बिजली की फिटिंग तथा अधिष्ठापन	206.8	52.5	0.1	259.2	123.9	22.2	0.1	146.0	**113.2**	82.9
5	कंप्यूटर प्रणाली	1,033.6	448.0	2.2	1,479.4	706.0	186.5	1.7	890.8	**588.6**	327.6
6	कार्यालय मशीनें तथा उपकरण	606.0	131.2	2.3	734.9	298.2	59.9	1.3	356.8	**378.1**	307.8
	mi tksM+ ¼x½	10,027.7	1,018.6	264.5	10,781.8	4,179.8	842.3	60.4	4,961.7	**5,820.1**	5,847.8
	ewrZ ifjlEifÙk;ka ds fy, dqy	**371,997.8**	**49,193.9**	**1,039.3**	**420,152.4**	**60,258.5**	**16,750.8**	**819.0**	**76,190.3**	**343,962.1**	**311,739.2**
	vewrZ ifjlEifÙk;ka										
क.	कंप्यूटर साफ्टवेयर	1,511.7	1,200.9	-	2,712.6	369.6	406.8	-	776.4	**1,936.2**	1,142.1
	dqy ifjlEifÙk;ka	**373,509.5**	**50,394.8**	**1,039.3**	**422,865.0**	**60,628.1**	**17,157.6**	**819.0**	**76,966.7**	**345,898.3**	
	पिछला वर्ष	354,408.9	21,128.0	2,027.6	373,509.3	47,282.5	14,699.2	1,353.7	60,628.0		312,881.3
	पूंजीगत कार्य – प्रगति पर									**3,770.3**	8,736.2
	fodkl ek/khu vewrZ ifjlEifÙk;ka									**18.7**	1,009.6
	dqy ;ksx									**349,687.3**	322,627.1

8-1 'विमान बेड़ा एवं उपस्कर' के अंतर्गत परिवर्धन एवं कमी में, विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव शामिल है : क्रमशः 9,535.07 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 18,329.7 मिलियन रुपए) एवं 100.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : शून्य)

8-2 विमान बेड़े एवं रोटेबल में 42 विमान (आठ बी777–200 एल आर, बारह बी777–300 ई आर, दस ए–319 तथा बारह ए–321) (गत वर्ष : 39 विमान : बारह बी777–200 एल आर,, नौ बी777–300 ई आर, दस ए–319, एवं बारह ए–321,) तथा 5 अतिरिक्त जीई इंजन (गत वर्ष : 5 अतिरिक्त जीई इंजन) सम्मिलित है तथा इन 42 विमानों और 5 अतिरिक्त इंजनों का पंजीकरण एसपीवी कंपनी के नाम जारी है जिसके लिए लाभ हकदारी एअर इंडिया लि0 की होगी। ग्रॉस ब्लॉक 211,989.3 मिलियन (गत वर्ष 202,637.8 मिलियन रुपए), मूल्यह्रास हेतु प्रावधान 41,712.2 मिलियन रुपए (गत वर्ष 31453.8 मिलियन रुपए) नेट ब्लॉक 170,272.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष 171,184 मिलियन रुपए)। भविष्य लीज़ रैंटल दायित्व लगभग 133,575.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 140,685.8 मिलियन रुपए) जिसके लिए समान राशि की देयता को ''भविष्य के लीज़ दायित्व'' के वर्ष के अंत शेष में सम्मिलित किया गया है।

8-3 विमान बेड़े तथा रोटेबल ब्लॉक में कमी में 23 इंजन (ए320) तथा 10 एपीयू (ए320), (गत वर्ष : एक इंजन (बी747–400) तथा 6 विमान ए320) को वर्ष के दौरान निपटान के लिए अधिशेष परिसम्पत्तियों में हस्तांतरित कर दिया गया। निवल ब्लॉक 853.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 1266.6 मिलियन रुपए), मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 746.8 मिलियन (गत वर्ष : 868.8 मिलियन रुपए) तथा इस मद में हानि 105.0 मिलियन (गत वर्ष : 161.2 मिलियन रुपए)

8-4 सीडब्ल्यूआईपी में विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों को प्राप्त करने के लिए विनिमय दर में हुए 887.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 1684.4 मिलियन रुपए) का उतार–चढाव सम्मिलित है। सीडब्ल्यूआईपी का लेखांकन प्राप्त बिलों की सीमा तक किया जाता हैं।

8-5 ए–320 (वीटी–ईएसएच) का बही मूल्य 17.2 मिलियन रुपए (बीमाकृत मूल्य 30 मिलियन अमरीकी डॉलर) है जो मैसर्स एआईसीएल की ओर से प्रतिभूति के रूप में दिए गए है।

8-6 मूल्यह्रास में पूर्वावधि के लिए 98.3 मिलियन रुपए का डेबिट (गत वर्ष : 1304.6 मिलियन रुपए) तथा पूंजी आरक्षित के लिए 55.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 35.6 मिलियन रुपए का डेबिट) सम्मिलित है।

8-7 विमान बेड़े रोटेबल में रिफरबिशमेंट की लागत/लीज़ विमानों का परिवर्तन, निवल ब्लॉक 485.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 485.0 मिलियन रुपए) संचित मूल्यह्रास 261.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 195.7 मिलियन रुपए) सम्मिलित है।

8-8 अमूर्त परिसंपत्तियों में : 1) 10 वर्षों में मूल्यह्रास किए जाने वाले यात्री सेवा प्रणाली सॉफ्टवेयर, 2) अन्य जिनका 5 वर्षों में मूल्यह्रास किया जाना सम्मिलित है।

8-9 वर्कशाप उपस्कर, उपकरण मशीनरी तथा संयत्र में सम्मिलित विशेष औजार एवं अन्य स्थिर परिसंपत्तियों का वर्षवार कुल पूंजी राशि में से मूल्यह्रास किया जा रहा है।

8-10 सैप में परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण के दौरान कुछ परिसंपत्तियों को 1 अप्रैल, 2012 के अनुसार संचित मूल्यह्रास सहित पुनः वर्गीकृत तथा पुनःसमूहिकृत किया गया है। कुछ मामलों में इनकी पहचान की गई है तथा इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की कटौती/समायोजन में दर्शाया गया है।

ukV ^^9** % xSj pkyw fuos'k

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekpZ] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
d- vuqnèkr bfDoVh foy[k ¼ykxr ij½ lgk;d daifu;ka e fuos'k		
1) भारतीय होटल निगम लि0 में 100/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 4,060,000 इक्विटी शेयर	**406.0**	406.0
2) एअर इंडिया चार्टर्स लि0 में 100/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 3,000,000 इक्विटी शेयर	**300.0**	300.0
3) एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 में 10/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**0.5**	0.5
4) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0 में 10/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**0.5**	0.5
5) वायुदूत लि0 में 1,000/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 3,64,200 इक्विटी शेयर	**182.1**	182.1
घटा : ह्रास के लिए प्रावधान	**182.1**	182.1
	-	-
6) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 में 100/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,25,000 इक्विटी शेयर	**22.5**	22.5
0;kikfjd fuos'k		
1) एसआईटीए (सोसायटी इंटरनेशनल डि टेली कम्यूनिकेशन्स एरोनॉटिक्स) में 5.00 यूरो प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 271,93.8 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 271,882) (वर्ष के दौरान 56 शेयर पुनः वितरण के तहत आबंटित किए गए।	**13.9**	13.9
2) एरोनॉटिकल रेडियो ऑफ थाइलैंड लि0 के 100 भाट प्रत्येक के बी श्रेणी के पूर्ण प्रदत्त 2216 शेयर (पिछले वर्ष : 2566 शेयर) (वर्ष के दौरान 350 शेयर रिडीम किए गए।	**0.4**	0.5
3) एअर मॉरीशस लि0 के 10/– मॉरीशस रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,617,098 इक्विटी शेयर	**9.5**	9.5
4) एअर मॉरीशस होल्डिंग लि0 के 10/– मॉरीशस रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,301,244 शेयर।	**16.7**	16.7
5) इटली सरकार द्वारा गारंटी दिए गए 15.49 यूरो के अंकित मूल्य के बांकों दे रोमा के 6% डिबेंचर बाण्ड (नागर विमानन विभाग, इटली के पास जमा किए गए हैं।) ' (3,057.69 रुपए)	***0.0**	*0.0
6) कोच्चि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लि0 में 10/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 10,000,000 इक्विटी शेयर।	**100.0**	100.0
7) एसआईटीए इन्फोरमेशन नेटवर्क कम्प्यूटिंग एन.वी के 618,460 डिपॉजिटरी प्रमाण पत्र।	**28.8**	28.8
8) एसोसिएशन स्पोर्टिव ड्यू गोल्फ इज़ाबेला में 152.45 यूरो प्रत्येक के 50 इक्विटी शेयर।	**0.4**	0.4
9) एअर इंडिया – सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज (प्रा.) लि0 में 10 रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 40,424,975 इक्विटी शेयर। (पिछले वर्ष: 5000 शेयर जारी तथा 40,419,975 शेयरों को जारी करना शेष) (संदर्भ नोट 74 ग. ख)	**436.1**	436.1
vuqnèkr fuos'kksa dk ;ksx	**1,335.3**	1,335.4
[k- mnèkr ¼ykxr ij & 0;kikj½		
फ्रांस टेलीकॉम में 0.48 यूरो प्रत्येक के 375407 पूर्ण प्रदत्त शेयर (बाजार मूल्य 205.8 मिलियन रुपए, 3.0 मिलियन यूरो के समतुल्य) (पिछले वर्ष: 283.0 मिलियन रुपए 4.2 मिलियन यूरो के समतुल्य)	**7.6**	7.6
dqy	**1,342.9**	1,343.0
अनुद्धृत निवेश की औसत राशि	**1,517.4**	1,517.5
निवेश के मूल्य में कमी हेतु औसत प्रावधान	**182.10**	182.10
उद्धृत निवेश की औसत राशि (बाजार मूल्य : 205.8 मिलियन रुपए) (पिछले वर्ष 283.0 मिलियन रुपए) (3.0 मिलियन यूरो के समतुल्य) (पिछले वर्ष 4.2 मिलियन यूरो)	**7.6**	7.6

ukV ^^10** % _.k ,oa vfxze

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	nh?kkZof/k _.k ,oa vfxze		y?kq vof/k _.k ,oa vfxze	
	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक
iwath vfxze				
अरक्षित एवं खरे माने गए	**3,303.5**	11,360.6	**-**	-
संदेहास्पद	**232.0**	7.6	**-**	-
	3,535.5	11,368.2	**-**	-
घटाकर : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**232.0**	7.6	**-**	-
¼d½	**3,303.5**	11,360.6	**-**	-
izfrHkwfr tek				
रक्षित व खरे माने गए	**1.8**	5.7	**-**	-
अरक्षित एवं खरे माने गए	**1,021.4**	1,031.6	**377.8**	54.3
संदेहास्पद	**26.8**	4.8	**-**	-
	1,050.0	1,042.1	**377.8**	54.3
घटाकर : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**26.8**	4.8	**-**	-
¼[k½	**1,023.2**	1,037.3	**377.8**	54.3
lgk;d dEifu;ksa dks vfxze*				
अरक्षित एवं खरे माने गए	**19,351.1**	13,979.1	**-**	-
संदेहास्पद	**768.6**	768.6	**-**	-
	20,119.7	14,747.7	**-**	-
घटाकर : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**768.6**	768.6	**-**	-
¼x½	**19,351.1**	13,979.1	**-**	-
udn ;k oLrqvksa ds :Ik esa izkI; vfxze				
अरक्षित एवं खरे माने गए	**8,236.8**	1,099.9	**1,431.8**	1,085.7
संदेहास्पद	**716.5**	1,258.7	**-**	-
	8,953.3	2,358.6	**1,431.8**	1,085.7
घटाकर : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	716.5	1,258.7	**-**	-
¼?k½	**8,236.8**	1,099.9	**1,431.8**	1,085.7
deZpkfj;ksa dks _.k ,oa vfxze				
रक्षित व खरे माने गए	**5.2**	2.7	**-**	4.0
अरक्षित एवं खरे माने गए	**37.1**	76.9	**95.7**	63.6
संदेहास्पद	**12.3**	12.9	**-**	-
	54.6	92.5	**95.7**	67.6
घटाकर : कर्मचारियों को संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**12.3**	12.9	**-**	-
¼³½	**42.3**	79.6	**95.7**	67.6
vU; _.k ,oa vfxze				
आयकर तथा टीडीएस का अग्रिम भुगतान (कराधान हेतु प्रावधान का निवल)	**826.8**	962.2	**-**	-
पूर्वप्रदत्त व्यय	**509.4**	528.9	**810.8**	1,502.0
सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	**1,699.8**	1,535.0	**201.1**	655.1
¼p½	**3,036.0**	3,026.1	**1,011.9**	2,157.1
dqy ¼d$[k$x$?k$M-$p½	**34,992.9**	30,582.6	**2,917.2**	3,364.7

10-1 *lgk;d dEifu;ksa dks fn, x, vfxze dk fooj.k fuEukuqlkj gS %*

¼#i, fefy;u esa½

lgk;d dEiuh dk uke	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक
1. एअर इंडिया चार्टरस लि0	**13,422.5**	9,371.7
2. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसिस लि0	**1.0**	0.9
3. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	**277.7**	162.8
4. एएएसएल	**5,649.9**	4,443.7
5. वायुदूत लि0	**768.6**	768.6
dqy	**20,119.7**	14,747.7

10-2 पूर्व प्रदत्त व्ययों में अनुरक्षण आरक्षित के तहत शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष : 702.8 मिलियन रुपए) सम्मिलित हैं।

10-3 नकद या वस्तुओं के रूप में प्राप्य अग्रिम में 10.5 मिलियन रुपए का मिलान नहीं किया गया अन्तर निगमित डेबिट शेष (निवल) सम्मिलित है जिसका मिलान किया जा रहा है तथा जिसका प्रावधान किया गया है।

ukV ^^11** % 0;kikj ikI;

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	xSj pkyw ikI;		pkyw ikI;	
	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक
भुगतान की तिथि से छह माह से अधिक के लिए बकाया				
रक्षित खरे माने गए	**-**	-	**14.5**	0.4
अरक्षित व खरे माने गए	**54.8**	144.3	**7,214.8**	2,766.6
संदेहास्पद	**4,135.6**	3,724.2	**-**	-
	4,190.4	3,868.5	**7,229.3**	2,767.0
घटाकर : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**4,135.6**	3,724.2	**-**	-
¼d½	**54.8**	144.3	**7,229.3**	2,767.0
vU; ikI;				
रक्षित खरे माने गए	**-**	-	**377.3**	459.6
अरक्षित व खरे माने गए	**-**	-	**12,673.8**	15,264.7
संदेहास्पद	**258.9**	83.5	**-**	-
	258.9	83.5	**13,051.1**	15,724.3
घटाकर : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**258.9**	83.5	**-**	-
¼[k½	**-**	-	**13,051.1**	15,724.3
dqy ¼d $ [k½	**54.8**	144.3	**20,280.4**	18,491.3

11-1 391.8 मिलियन रुपए के व्यापार प्राप्य ऋण (पिछले वर्ष 460.0 मिलियन रुपए) की बैंक गारंटी दी गई।

ukV **12** % vU; ifjlEifÙk;k

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	vU; xSj pkyw ifjlEifÙk;k		vU; pkyw ifjlEifÙk;k	
	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक	31 ekpZ 2013 rd	31 मार्च, 2012 तक
1- tek&vU; ¼12 ekg ls vfèkd dh ifjiDork½	**6.5**	11.7	**-**	-
घटाकर : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**0.1**	-	**-**	-
	6.4	11.7	**-**	-
2- mifpr C;kt				
i) सावधिक जमा	**-**	0.5	**21.9**	18.5
ii) कर्मचारियों को ऋण	**-**	24.9	**57.2**	57.0
iii) अन्य	**-**	-	**-**	0.4
	-	25.4	**79.1**	75.9
3- vfèk'ks"k ifjlEifÙk;k	**283.5**	-	**253.0**	556.8
घटा : परिसंपत्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**283.5**	-	**-**	-
	-	-	**253.0**	556.8
4- Qkju djsUlh ekuVjh vkbVe Vªkalys'ku fMQjsUl vdkmaV	**504.1**	321.2	**84.0**	45.9
5- vU; xSj 0;kikj ikI;				
अरक्षित खरे माने गए	**-**	57.3	**8,963.1**	7,261.0
संदेहास्पद	**1,954.7**	2,864.8	**-**	-
	1,954.7	2,922.1	**8,963.1**	7,261.0
घटाकर : संदेहास्पद प्राप्यों हेतु प्रावधान	**1,954.7**	2,864.8	**-**	-
	-	57.3	**8,963.1**	7,261.0
dqy	**510.5**	415.6	**9,379.2**	7,939.6

12-1 जमा – अन्य गैर चालू (12 माह से अधिक की परिपक्वता) में चालू खाते में पड़ी 1.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष 1.9 मिलियन रुपए) की ब्लॉक की गई राशि शामिल है।

12-2 ऐसी स्थिर परिसंपत्तियां, जिनका अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा तथा जिन्हें निपटान (डिस्पोजल) के लिए रोका गया है, उन्हें ''अधिशेष परिसंपत्तियों'' में डाल दिया गया है। अधिशेष परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य को सकल ब्लॉक के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक माना गया है।

ukV ^^13** % buoVjh icèku }kjk yh xb] eY;kfdr rFkk iekf.kr½

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	**29,199.0**	14,498.4
अबद्ध औज़ार	**98.6**	136.8
	29,297.6	14,635.2
घटाकर : अप्रचलन इनवेन्टरी समाधान के लिए व्यवस्था	**12,601.7**	5,870.4
	16,695.9	8,764.8
मार्गस्थ सामग्री	**876.7**	307.8
dqy	**17,572.6**	9,072.6

ukV ^^14** % udnh vkj cSd esa 'ks"k

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
udnh o udnh lerY;		
1. cSd esa 'ks"k		
क) चालू खातों में	**2,102.7**	1,678.7
ख) जमा खाते परिपक्वता (3 माह से कम)	**414.8**	266.1
2. हाथ में चैक तथा ड्राफ्ट	**37.0**	78.0
3. हाथ में रोकड़ (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	**31.6**	30.2
4. मार्गस्थ धन	**-**	1.1
¼d½	**2,586.1**	2,054.1
vU; cSd esa 'ks"k		
कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा	**1.1**	5.3
जमा : अन्य (3 माह से अधिक किन्तु 12 माह से कम)	**71.6**	65.1
मार्जिन राशि जमा	**2,502.5**	2,185.6
¼[k½	**2,575.2**	2,256.0
dqy ¼d $ [k½	**5,161.3**	4,310.1

ukV ^^15** % ;krk;kr jktLo

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
vuqlfpr lsok,a		
1. यात्री	**124,944.4**	114,236.9
2. अतिरिक्त सामान	**794.2**	813.3
3. डाक	**686.8**	1,041.9
4. कार्गो	**8,549.0**	7,549.7
¼d½	**134,974.4**	123,641.8
xSj vuqlfpr lsok,a		
1. चार्टर	**10,740.4**	6,646.7
2. ब्लॉक सीट व्यवस्था	653.8	724.7
3. एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड से राजस्व अंश (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) (संदर्भ नोट 61(घ))	**2,227.0**	4,526.1
¼[k½	**13,621.2**	11,897.5
dqy ¼d $ [k½	**148,595.6**	135,539.3

ukV **16** % gMfyx] lfofl x rFkk ikl fxd jkt Lo

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	2012&13	2011–12
1. हैंडलिंग तथा सर्विसिंग	**5,139.7**	5,835.4
2. निर्माताओं का क्रेडिट	**842.5**	-
3. प्रासंगिक राजस्व	**5,700.6**	5,378.3
d y	**11,682.8**	11,213.7

ukV ^17** % vU; jkt Lo

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	2012&13	2011–12
1. ब्याज आय :		
बैंक जमा	**183.1**	148.0
अन्य	**118.0**	94.0
2. दीर्घावधि निवेश से प्राप्त लाभांश (व्यापार)	52.2	53.9
3. एअर इंडिया बिल्डिंग से प्राप्तियां	**89.4**	89.2
d y	**442.7**	385.1

ukV ^18** % ipkyu 0;;

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	2012&13	2011–12
1. बीमा	**1,174.8**	1,089.3
2. उपभुक्त सामग्री – विमान	**2,935.9**	1,836.5
3. बाहर से कराई गई मरम्मत – विमान	**5,372.2**	2,975.8
4. मार्ग निर्देशन अवतरण, हाउसिंग व पार्किंग	**11,063.8**	10,669.4
5. विमान किराए पर लेना	**5,322.4**	4,178.7
6. हैंडलिंग प्रभार	**7,640.6**	6,245.3
7. यात्री सुविधाएं	**4,855.0**	4,708.3
8. बुकिंग एजेंसी कमीशन	**3,847.1**	5,555.6
9. संप्रेषण प्रभार		
1) आरक्षण प्रणाली	**5,692.5**	4,891.0
2) अन्य	**969.1**	1,041.7
d y	**48,873.4**	43,191.6

ukV ^^19** % deZpkjh dk ykHk O;;

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1	वेतन, मजदूरी और बोनस	**21,150.1**	22,204.1
2	क्रू भत्ते	**5,280.4**	8,044.1
3	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**1,087.9**	1,067.5
4	कर्मचारी कल्याण व्यय	**1,559.8**	1,519.6
5	उपदान हेतु प्रावधान	**2,256.6**	1,457.7
6	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**988.3**	1,175.6
7	सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान	**224.2**	197.9
	dqy	**32,547.3**	35,666.5

ukV ^^20** % foÙkh; ykxr

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	ब्याज पर :		
	क) डिबेंचर	**6,075.3**	3,420.3
	ख) विमान ऋण	**3,014.9**	7,159.5
	ग) अन्य ऋण	**24,599.9**	24,761.6
		33,690.1	35,341.4
2.	अन्य उधार लागत	**1,301.9**	1,113.5
3.	ईंधन कम्पनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार	**3,038.3**	1,762.1
4.	टीडीएस/सर्विस टैक्स के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	**659.3**	643.7
	dqy	**38,689.6**	38,860.7

ukV ^^21** % eY;gzkl rFkk ifj'kks/ku O;;

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**16,668.3**	15,855.2
2.	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**391.1**	148.7
	¼d½	**17,059.4**	16,003.9
	घटाकर : पूंजी आरक्षित से क्षतिपूर्ति (संदर्भ नोट 3.1)	**55.7**	35.6
	¼[k½	**55.7**	35.6
	dqy ¼d-[k½	**17,003.7**	15,968.3

ukV ^^22** % vU; 0;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	यात्रा व्यय		
	i) क्रू	**1,751.0**	1,919.2
	ii) अन्य	**602.7**	657.1
2.	किराया	**1,564.5**	1,144.7
3.	दरें तथा कर	**460.6**	186.1
4.	निम्नलिखित की मरम्मतः		
	i) भवन	**114.5**	118.6
	ii) अन्य	**1,585.2**	1,258.4
5.	परिवहन का किराया	**680.9**	697.6
6.	विद्युत एवं तापन प्रभार	**941.6**	675.7
7.	जल प्रभार	**68.5**	46.4
8.	प्रचार तथा विक्रय संवर्धन	**593.1**	397.7
9.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**101.6**	110.9
10.	विधिक व्यय	**118.8**	89.9
11.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा व्यय	**7.9**	10.4
12.	अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	**382.9**	435.8
13.	अप्रचलन के लिए प्रावधान (शुद्ध)	**585.9**	784.2
14.	इनवेंटरी मरम्मत के लिए प्रावधान	**840.2**	-
15.	ब्लॉक सीट व्यवस्था पर व्यय	**448.1**	404.2
16.	मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	**2,393.2**	3,012.9
17.	अनुपयोगी स्थिर परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि (निवल)	**188.8**	336.0
18.	इनवेंटरी के विक्रय से हानि	**-**	353.5
19.	विविध व्यय	**2,041.4**	1,918.0
	d|y	**15,471.4**	14,557.3

ukV ^^23** % iokofèk lek;kstu ¼fuoy½

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
jktLo 'kh"kZ		
1. यात्री राजस्व	**(148.1)**	(106.1)
2. कार्गो राजस्व	**3.4**	(45.7)
3. डाक	**3.6**	4.7
4. हैंडलिंग, सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	**188.0**	106.2
5. अन्य	**(5.8)**	27.3
¼d½	**41.1**	(13.6)
O;; 'kh"kZ		
1. हैंडलिंग प्रभार	**137.6**	2.8
2. मूल्यह्रास	**98.3**	(1,304.6)
3. भंडार एवं उपकरण	**22.4**	(224.1)
4. यात्री सुविधाएं	**151.6**	51.8
5. प्रचार	**6.5**	0.2
6. कंपनी को विलंब से भुगतान किए जाने वाला प्रभार	**-**	2,344.6
7. बीमा	**(3.9)**	137.5
8. वेतन/कर्मचारी कल्याण व्यय	**44.2**	36.0
9. लैंडिंग, पार्किंग तथा नेवीगेशन	**14.8**	(19.8)
10. कमीशन	**13.6**	(3.2)
11. संचार प्रभार – अन्य	**6.7**	4.8
12. किराया, दरें तथा कर	**115.2**	11.8
13. विनिमय परिवर्तन	**(14.3)**	114.8
14. विधि प्रभार	**0.7**	0.4
15. विमान प्रभार	**2.8**	21.6
16. ब्याज	**6.2**	(3.4)
17. अन्य (निवल)	**263.2**	69.4
¼[k½	**865.6**	1,240.6
dqy ;ksx ¼[k & d½	**824.5**	1,254.2

ukV ^^24** % v lkèkkj.k en

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
1. माइग्रेशन अधिशेष/रिटन बैक इनवेंटरी	**14,667.2**	3,321.3
घटा : इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	**5,974.4**	-
	8,692.8	3,321.30
2. सहायक कंपनियों का पुनरांकित शेष	**-**	5,746.7
3. प्रावधान जो आवश्यक नहीं	**2,506.2**	156.1
dqy	**11,199.0**	9,224.1

24-1 lgk;d dEifu;ksa ds iqujkafdr 'ks"k esa fuEu lfEefyr gSa %

¼#i, fefy;u esa½

	2012-13	2011-12
अग्रिम	**-**	5,724.2
निवेश मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**-**	22.5
dqy	**-**	5,746.7

ukV 25% v lkèkkj.k en ¼fuoy½

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
1 वेंडरों से लिक्वीडेटिड डैमेज के लिए क्षतिपूर्ति	**2,801.0**	2,655.7
2 एसएफआईएस के तहत ड्यूटी क्रैडिट पात्रता	**7,416.8**	-
dqy	**10,217.8**	2,655.7

y[kk dk Hkkx cuu oky ukV

26- vkdfLed n;rk,¼

क) कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (जहां लागू हो वहां ब्याज और पेनल्टी को छोड़कर) तथा जिस पर मात्रात्मक रूप में एवं अभिनिश्चित किए जाने की सीमा तक दावा किया जा रहा है:

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	2012&13	2011–12
विमान में बोर्डिंग से मना करने, यात्री के सामान के खो जाने, सामान की हैंडलिंग सही न होने, विलंबित उड़ान, उड़ानों के रद्द हो जाने, क्षतिग्रस्त परेषित माल तथा कार्गो के देर से प्राप्त होने आदि के कारण दावे।	690-4	327.9
कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जिनकी अपील की गई है।	424-3	201.4
कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क तथा सेवा कर।	4313-0	6559.1
नगर–निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर।	23-1	200.0
लाइसेंस शुल्क, एक्स–रे, टीएनएलसी, लैंडिंग प्रभार, पार्किंग प्रभार, अन्य कर आदि के दावे	2745-6	2404.8
कर्मचारी/सिविल/मध्यस्थता/श्रमिक मामलों/लंबित कोर्ट मामलों/सरकारी गारंटी फीस के कारण दावे	3361-8	3838.5
जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी रिपोर्ट के अनुसरण में वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के कारण कर्मचारियों के अनुमानित दावे	2361-4	–
dqy	13919-6	13531.7

ख) बैंकों द्वारा गारंटी तथा कंपनी द्वारा दी गई काउंटर गारन्टी बकाया 22.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष 1564.3 मिलियन रुपए)।

ग) बैंक द्वारा कुल 5967.9 मिलियन रुपए के क्रेडिट पत्र जारी किए गए (पिछले वर्ष 5596.0 मिलियन रुपए)।

घ) अपनी पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा प्रदान की गई निगमित गारंटी तथा सहायता पत्र:

¼#i, fefy;u e½

Øe l-	fooj.k	2012&13	2011–12
i.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि.	156-7	187.3
ii.	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	826-2	2201.0

27- पूंजीगत लेखों (अग्रिम की निवल राशि) पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धताएं – 164936.8 मिलियन रुपए (गत वर्ष 182426.3 मिलियन रुपए) जिसका विवरण नीचे दिया गया है। 'अन्य प्रतिबद्धताओं' के संबंध में राशि निश्चित नहीं है।

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&2013	2011–2012
(क)	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं		
i)	विमान परियोजना के लिए	164368-1	180941.8
ii)	अन्य	568-7	1484.5
	dqy	164936-8	182426.3
(ख)	अन्य प्रतिबद्धताएं	fuf'pr ugh	निश्चित नहीं

28- कंपनी ने 1 जनवरी, 2013 से सैप–ईआरपी प्रणाली कार्यान्वित की है। कंपनी के 31.12.2012 तक की अवधि के वित्तीय रिकार्ड लीगेसी सिस्टम पर रखे जा रहे थे जिन्हें अब सैप पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तद्नुसार वर्ष 2012–13 के लिए वित्तीय विवरण सैप डाटाबेस से तैयार किए गए हैं। वित्त के लिए सैप–एफआईसीओ मॉड्यूल तथा विमानों से इतर सामग्री के लिए सैप (एमएमडी) मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है। इस संबंध में सैप में लीगेसी सिस्टम में सैप में बैलेंस स्थानांतरित करने के संबंध में कंपनी ने इस रूपांतरण का एक स्वतंत्र चार्टेड एकाउंटेंट फर्म से ऑडिट भी कराया ताकि स्थानांतरित किए गए बैलेंस की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। स्थानांतरण ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उक्त बैलेंस का मिलान तथा प्रमाणन जीएल स्तर पर किया गया तथा कुछ क्षेत्रों से संबंधित टिप्पणियों को अभी संकलित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त दस्तावेज स्तर पर भी स्थानांतरण ऑडिट की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रबंधन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं तथा यदि जरूरत हुई तो

आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार सैप में ओपनिंग बैलेंस स्थानांतरित आंकड़ों के अनुसार हैं। सैप प्रणाली का विस्तार सहायक कंपनियों में भी किया जा रहा है तथा प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सैप की परियोजना लागत तथा अनुरक्षण प्रभारों को इस योजना के पूर्ण हो जाने तक अन्य सहायक कंपनियों में नहीं बांटा जाएगा।

29- जनरल लैजर के संगत नियंत्रण लेखा खातों के साथ विभिन्न डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों के मिलान सहित सहायक खातों की बैलेंसिंग तथा समाधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि सैप में ऐसे बहुत से खाते हैं जिनमें राजस्व में मध्यवर्ती/ट्रांजिटरी लेखे सहित सहायक लेखों/अन्य लेखा मॉड्यूल, नकद तथा बैंक शेष तथा अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं/आय तथा व्ययों आदि का समाधान प्रगति पर है। लाइन मदों के स्थान पर सैप में ब्लॉक स्तर पर स्थानांतरित मदों तथा लेखों, जिनका मिलान नहीं हो रहा, की पहचान की प्रक्रिया जारी है। वित्तीय विवरणी में पुनः समाधान के कारण परिणामी समायोजन, यदि कोई है, के प्रभाव का निपटारा समायोजन के वर्ष में किया जाएगा।

30- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 सी के अधीन अपेक्षित डिबेंचर रीडैंपशन रिज़र्व को सृजित नहीं किया गया क्योंकि कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ।

31- कंपनी ने 2122.2 मिलियन रुपए की गारंटी फीस को माफ किए जाने का मुद्दा एफआरपी के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया है। उक्त में 350.7 मिलियन रुपए की राशि भी सम्मिलित है जो वर्ष के दौरान जारी किए गए एनसीडी पर देय गारंटी फीस से संबंधित है तथा जिसके लिए वर्ष के दौरान लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने के कारण पूरे बकाया देय पर अतिरिक्त गारंटी फीस के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा गया तथापि इसे आकस्मिक देयता के रूप में घोषित किया गया है।

LFkk;h ifjlaifÙk;k

32- समामेलन की योजना के अनुसार भूमि तथा बिल्डिंग सहित अचल संपत्ति को दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को बाहरी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा निर्धारित उनके उचित मूल्य पर रिकार्ड किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गई बिल्डिंगों के मामले में, जिनका मूल्यांकक द्वारा पुनःमूल्यांकन किया गया था, मूल्यांकक की सलाह पर पुनःमूल्यांकित राशि को उनके उपयोग की सीमा के आधार पर परिशोधन/मूल्यह्रासित किया गया।

33- भूमि (पूर्ण स्वामित्व वाली/लीज़होल्ड) तथा भवन में 77469.8 मिलियन (पिछले वर्ष 77450.1 मिलियन रुपए) (पहचान किए जाने की सीमा तक) रुपए का ग्रॉस ब्लॉक सम्मिलित है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी अभी शेष हैं तथा जहां मूल हक विलेख (राशि निश्चित नहीं) कंपनी के कब्जे में नहीं है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क) लीज़होल्ड भूमि, जिसमें पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं, में बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में 4 एकड़ की माप भूमि का एक प्लाट है जिसका बाहरी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा वर्ष 2007 में 5,390.6 मिलियन रुपए (गत वर्ष 5,390.6 मिलियन रुपए) मूल्य निकाला गया था। यह संपत्ति सीसीईए द्वारा अनुमोदित टीएपी/एफआरपी के अंतर्गत मौद्रीकरण के उद्देश्य से पहचान की गई अचल संपत्तियों में से एक है ताकि कंपनी की पूंजी में सुधार किया जा सके तथा बैंक से लिए गए ऋणों का भुगतान किया जा सके। तदनुसार इस भूमि के प्लाट के संबंध में कंपनी के नाम में पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के प्रयास उच्चतम स्तर पर शुरू हो गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जून, 2013 के पत्र संख्या एल एंड डीओ/एल–11ए/429/2013 के माध्यम से एक संशोधित पत्र जारी किया है जिसके अंतर्गत 1983 के आबंटन पत्र की समान निबंधन और शर्तों पर 4 एकड़ की जगह 3.54 एकड़ क्षेत्र के लिए संशोधित आबंटन पत्र जारी किया गया है जिसे कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 26.06.2013 को कब्जा लिया गया। जारी किए गए संशोधित आबंटन पत्र के अनुसार पहले ही भुगतान किए गए भूमि अधिग्रहण की राशि के अंतर का समायोजन भावी भुगतान/देय राशि के लिए किया जाएगा। प्रबंधन संशोधित आबंटन पत्र के अनुसार संपत्ति के मूल्य में संशोधन करने के लिए कदम उठा रही है। इस संबंध में लेखांकन व्यवस्था इस परिसंपत्ति के मौद्रीकरण के समय की जाएगी।

ख) लीज़होल्ड परिसंपत्तियों जिनकी पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं, में हाउसिंग कालोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति सम्मिलित है जिसका मूल्य बाहरी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा वर्ष 2007 में 51295.1 मिलियन रुपए निकाला गया। प्रारम्भ में 27.2 एकड़ के माप की भूमि दिनांक 18.12.1967 के पत्र संख्या एल.11.3.1(140)67 के तहत आबंटित की गई थी, तत्पश्चात भूमि के क्षेत्रफल को संशोधित कर 30 एकड़ कर दिया गया तथा दिनांक 27.2.1968 को कब्जा कंपनी को सौंप दिया गया। आबंटन पत्र में उल्लेखित कुछ शर्तों के पूरा नहीं हो पाने के कारण दिनांक 10.11.1983 के एल एंड डीओ पत्र संख्या एल–11–1(140)67 के तहत आबंटन रद्द कर दिया गया तथा लीज़ डीड कार्यान्वित नहीं की जा सकी। उक्त भूमि पर 146.0 मिलियन रुपए के भवन को भी बहियों में दर्शाया गया है जिस पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जा रहा है। कानूनी राय के अनुसार प्राप्त मूल्यांकन, संपत्ति अधिकारों

के नियमितीकरण के अधीन है। एक स्वतंत्र परामर्शदाता की नियुक्ति कंपनी के नाम में इस संपत्ति को नियमित करने के लिए की गई है। इस संबंध में वर्ष के दौरान इस संपत्ति के नियमितीकरण हेतु एल एंड डीओ कार्यालय के साथ कई बैठकें की गईं। कंपनी को दिनांक 12.11.2013 को दिल्ली नगर निगम से अनुमोदन प्राप्त हो गया है जिसे एल एंड डीओ कार्यालय को दिया जाना है। इस मुद्दे पर निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है तथा कंपनी को संपत्ति अधिकारों के नियमितीकरण किए जाने की आशा है। साथ ही एल एंड डीओ द्वारा जारी दिनांक 18.12.1967 के आबंटन पत्र के अनुसार कैप्शन लीज के मूल्य पर अनर्जित वृद्धि के 50 प्रतिशत की सहभागिता संबंधी कोई खण्ड नहीं है अतः अनर्जित वृद्धि के कारण कंपनी द्वारा कोई राशि देय नहीं पाई गई। नियमितीकरण के अनुमानित व्यय के लगभग 35.0 मिलियन रुपए तथा परामर्श प्रभार के 30 मिलियन रुपए को बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2011 को अनुमोदित कर दिया गया तथा यह जब भी जहां भी अर्जित होगा लेखों में दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में 56.6 मिलियन रुपयों की सीमा तक की प्रासंगिक देयता को दर्शाया गया है।

ग) वर्ष के दौरान ऐसी अपंजीकृत संपत्तियों के लिए कंपनी के संपत्ति अधिकारों की बहाली तथा पंजीकरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा ग्लोबल रीयल एस्टेट परामर्शदाता मैसर्स डीटीज़ेड एंड कंपनी को संपत्ति परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता कंपनी की सहायता न केवल ऐसी संपत्तियों के पंजीकरण करवाने के लिए बल्कि इन संपत्तियों के विक्रय/निपटान/लीज़ करवाने के लिए भी ली जाएगी।

घ) जिन मामलों में कंपनी के कब्जे में मूल हक विलेख नहीं है, उस संबंध में संपत्तियों की डुप्लीकेट प्रतियां तथा अन्य संगत रिकार्डों को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

34- कंपनी को स्टाफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए नेरूल, नवी मुंबई में 100,021.60 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की गई थी। 28626 वर्ग मीटर क्षेत्र में 508 फ्लैटों का निर्माण किया गया तथा इन फ्लैटों को कंपनी के कर्मचारियों को बेचने का निर्णय लिया गया। मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय (न्यायालय) के आदेशों के अनुसार कंपनी द्वारा निर्मित 508 फ्लैटों में से 332 फ्लैटों के आबंटन पत्र जारी कर दिए गए। आबंटित फ्लैटों के संबंध में न्यायालय के आदेश के अनुसार सीआईडीसीओ को देय अतिरिक्त प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान कर्मचारियों से लेकर कर दिया गया है। सीआईडीसीओ से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद पात्र कर्मचारियों को हकदारी स्थानांतरित करने तथा प्रस्तावित हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करने का कार्य पूरा किया जाना है, भूमि की लागत तथा निर्माण की लागत सहित नेरूल में संपत्ति की लागत को स्थिर परिसंपत्तियों में लिया गया है तथा मूल्यह्रास को निर्धारित लेखाकरण नीति के अनुसार प्रभारित किया जा रहा है। विक्रय नहीं हुए फ्लैटों के लिए सीआईडीसीओ को देय अतिरिक्त प्रीमियम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इन फ्लैटों के आबंटनकर्त्ताओं का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। अधिशेष भूमि के गैर–विकास के विषय में सीआईडीसीओ को देय 251.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष 231.3 मिलियन रुपए) के अतिरिक्त लीज़ प्रीमियम को भूमि लागत के अंतर्गत पूंजीबद्ध कर लिया गया है।

35- नेरूल में भूमि के क्रय के लिए पूंजीगत अग्रिम में 24.6 मिलियन की राशि का अग्रिम सम्मिलित है। सीआईडीसीओ द्वारा आबंटित भूमि का कब्जा कंपनी को सौंपा नहीं गया है तथा कोई अनुबंध लीज़ डीड अभी तक नहीं की गई है। रिकार्डों में दी गई सूचना के अनुसार कथित प्लाट में अतिक्रमण किया गया है तथा वहां ईंटों का भट्टा है तथा 1985 से इस संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तथापि इस संबंध में कोई भी प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त लागत के बिना इसके नियमितीकरण होने की आशा है।

36- स्थिर परिसंपत्तियों तथा भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन पर निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक परिसंपत्ति/इनवेंटरी का दो वर्षों में एक बार सत्यापन पूरा करना होता है। वास्तविक सत्यापन का कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा 2011–12 की द्विवार्षिक अवधि के लिए किया जाना है। तथापि व्यावहारिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा 100 प्रतिशत सत्यापन पूरा करना संभव नहीं होता है। परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य क्षेत्रीय मुख्यालय तथा स्टेशनों पर निरीक्षण के समय द्विवार्षिक अवधि के दौरान किया जाता है। अन्य मामलों में विभिन्न प्रयोगकर्त्ता विभागों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों पर निर्भर रहते हैं। एयरफ्रेम तथा एयरो इंजनों को इंजीनियरी विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार वर्ष में लिया जाता है तथा कोई भी प्रत्यक्ष सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। 2010–12 की द्विवार्षिक अवधि की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं किन्तु कुछ मामलों में लेखांकन कार्य लंबित हैं। चूंकि प्रत्येक परिसंपत्ति का द्विवार्षिक अवधि के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा है, अतः प्रबंधन निर्धारित नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कदम उठा रही है। इस संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन यथासमय कर लिया जाएगा।

37- दिनांक 01 जनवरी, 2013 से विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रा/स्थान/क्रय की तिथि संबंधी उपलब्ध मदवार विवरण सैप को हस्तांतरित कर दिया गया है। अन्य मामलों में मदों का वर्ष वार ब्लॉक एक मद के रूप में सैप को हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण की एकरूपता पर कार्य चल रहा है। कपंनी लाइनवार परिसंपत्ति विवरण के लिए वित्त परिसंपत्ति मूल्य रजिस्टर का मिलान भंडार/सामग्री प्रबंधन डिवीजन (एमएमडी)

में रखे जा रहे रजिस्टरों से करने की प्रक्रिया में है। वित्त प्रभाग में रखे जा रहे परिसंपत्तियों के रिकार्ड के साथ एमएमडी में रखे परिसंपत्ति रजिस्टर तथा प्रोपर्टी मूवमेंट कंट्रोल डिवीजन (पीएमसीआर) का समाधान किया जा रहा है। परिसंपत्तियों का स्थान तथा प्रकार सहित ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

38- कंपनी द्वारा पालन की जा रही लेखांकन पद्धति के अनुसार एंटीवाइरस, एमएस ऑफिस आदि जैसे सॉफ्टवेयर को आंतरिक व्यय के समय हार्डवेयर के आवश्यक भाग के रूप में प्रभारित नहीं किया जा रहा है।

39- jkVcy %

i) सैप में स्थानांतरित रोटेबल का मूल्य समेकित ब्लॉक आधार पर उपलब्ध है। रैमको/सैप पर स्थानांतरण के बाद रोटेबलों का मदवार विवरण रैमको से सृजित डाटा के अनुसार तैयार किया जा रहा है। रैमको सॉफ्टवेयर से सृजित रोटेबलों के मदवार विवरण की तुलना वित्तीय रिकार्डों से की जा रही है। रैमको सृजित डाटा के साथ वित्तीय रिकार्ड के अनुसार डाटा का आवश्यक समाधान यथासमय किया जाएगा तथा उसके बाद इस संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन किया जाएगा।

ii) वर्ष के दौरान रैमको में स्थानांतरण के अनुसार इनवेंटरी में दिए कुछ मदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसे पिछले वर्ष तक रोटेबल तथा विपरीत क्रम में माना गया तथा इस लेखा प्रभाव को लेखों में दे दिया गया है। तदनुसार 243.9 मिलियन रुपयों की राशि को इनवेंटरी से स्थिर परिसंपत्तियो में पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा 372.7 मिलियन रुपयों के रोटेबलों को पुनः पंजीकृत किया गया है तथा इनवेंटरी में सम्मिलित किया गया है। क्रय लागत/डब्ल्यू डीवी का संक्षिप्त विवरण मदवार उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, ऐसे लेखाकरण कार्यों का मूल्य अनुमानित रूप से उपलब्ध डाटा के आधार पर लिया गया है।

iii) इनवेंटरी बैलेंस का रेमको मूल्य पर स्थानांतरण के दौरान कुछ रोटेबलों को इनवेंटरी में सम्मिलित किया गया है जबकि इनवेंटरी के तहत कुछ रोटेबलों को पुनः पंजीकरण किया जाना है। 830.6 मिलियन रुपयों की राशि के ऐसे पार्टों की पहचान इनवेंटरी में की गई है तथा इसके डुप्लीकेट होने के प्रभाव को हटाने के लिए लेखों में 415.3 मिलियन रुपयों का तदर्थ प्रावधान सृजित किया गया है चूंकि पहचान के विस्तृत कार्य को अभी किया जाना बाकी है। शेष रोटेबल/इनवेंटरी के पुनः वर्गीकरण का लेखांकन कार्य यथासमय किया जाएगा।

iv) वर्ष के दौरान रोटेबल के मूल्यह्रास के संबंध में लेखाकरण/लेखाकरण नीति की पद्धति में परिवर्तन हुआ है ताकि 20 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन क्रय के संगत वर्ष के लिए संबंधित बेड़े की औसत उपयोगी अवधि पर रोटेबलों का पूर्ण मूल्यह्रास हुआ हो। उपरोक्त के परिणामस्वरूप वर्ष का मूल्यह्रास 8.9 मिलियन की सीमा तक कम हुआ तथा 78.5 मिलियन रुपयों की राशि पूर्व अवधि के समायोजन के लिए प्रभारित की गई है।

40- eY;gkl

क) 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी दिनांक 25.05.2011 के पत्र संख्या 45/4/2008–सीएल–111 के तहत निगमित कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अत्याधुनिक तथा उन्नत तकनीक वाले एयरबस 319, 320, 321 तथा बी–777 तथा बी787 विमानों के नए बेड़े के उपयोग काल को 20 वर्ष तक मानते हुए मूल्यह्रास को कम दर पर प्रभारित किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दर से कम है।

ख) कुछ स्थिर परिसंपत्तियों के मामले में, विमान ब्लॉक के अलावा, अवशिष्ट आयु को पुनः निर्धारित किया जाना है ताकि निबटान के समय डब्ल्यू.डी.वी. का मिलान तथा पालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार मूल्यह्रास की गणना सुनिश्चित की जा सके। चूंकि स्थिर परिसंपत्तियों का सैप में स्थानांतरण का यह पहला वर्ष है जिसमें पैतृक परिसंपत्तियों के स्थानांतरण का बृहत कार्य सम्मिलित है अतः आवश्यक कार्य किया जाना अभी बाकी है। रिकार्डों के पुनःसमाधान के पश्चात् इसके प्रभाव को निश्चित तथा लेखाबद्ध किया जाएगा। तथापि प्रबंधन की राय में इसका प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है।

ग) सामान्य कार्यप्रक्रिया के अनुसार कुछ बिजनेस क्षेत्रों में विशिष्ट उपकरणों सहित अन्य स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को वर्ष वार सकल ब्लॉक के आधार पर परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रभारित किया जा रहा है। ऐसी प्रत्येक परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के उपरोक्त प्रभाव को पुनः समाधान के पश्चात निश्चित किया जाएगा। कुछ अन्य बिजनेस क्षेत्रों में विशिष्ट उपकरणों को इनवेंटरी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त का प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है।

41- कंपनी द्वारा विमान बेड़े की क्षति का निर्धारण आंतरिक स्तर पर किया गया है। प्रबंधन की राय में कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं हुई है तथा इन परिसंपत्तियों के खाता मूल्य पर कोई समायोजन करना आवश्यक नहीं है। विमान बेड़े सहित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में एएस–28 के अंतर्गत अपेक्षित क्षति निर्धारण अभी किया जाना बाकी है। कंपनी द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण

नीति के अनुसार एएस–11 के अनुरूप 28179.5 मिलियन रुपयों की विनिमय अंतर राशि को अभी भी पूंजीबद्ध किया जा रहा है। इन परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में आवश्यक समायोजन यदि कोई है तो उसे यथासमय पूरा कर लिया जाएगा।

42- वर्ष के दौरान 1340.0 मिलियन रुपए की ऋण लागत (पिछले वर्ष 1512.2 मिलियन रुपए) पूंजीबद्ध की गई जिसमें से 918.2 मिलियन रुपए वर्ष के दौरान प्राप्त 6 बी787–8 विमान से संबंधित हैं, 407.1 मिलियन रुपए चल रहे पूंजीगत कार्यों से संबंधित हैं तथा 14.7 मिलियन रुपए अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। साथ ही कुल 1340.0 मिलियन रुपए की कुल ऋण लागत में से 487.0 मिलियन रुपए की राशि कार्यशील पूंजी ऋण तथा 853.0 मिलियन रुपए की राशि आवधिक ऋण के ब्याज से संबंधित है।

43- लगातार अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार अधिशेष परिसंपत्तियां जिनका सक्रिय प्रयोग नहीं किया जा रहा, की पहचान बट्टा खाता रिपोर्टों से की जा रही है जिसका वर्ष के दौरान पूरी की जा चुकी स्क्रैप बोर्ड रिपोर्टों से समाधान किया जाना है। ऐसी परिसंपत्तियां जिसका सक्रिय उपयोग नहीं किया जा रहा तथा जो निपटान हेतु रखी हैं, की भी पहचान की जा रही है। इस संबंध में, लेखा समायोजन अपेक्षित होने पर आवश्यक पुष्टिकरण/समाधान के पश्चात किया जाएगा।

44- विदेशी व्यापार नीति 2009–2014 (एफटीपी) के संदर्भ में, सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के अंतर्गत कंपनी को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की हकदारी है जो वित्त वर्ष के दौरान अर्जित 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के समकक्ष है। 2009–2014 एफटीपी के अंतर्गत एसएफआईएस योजना 01 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक वैध थी।

वर्ष के दौरान कंपनी को वित्त वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के संबंध में 7416.8 मिलियन रुपयों की राशि की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क) दिनांक 10.12.2012 को (9.6.2014 को समाप्ति की तिथि) 4241.0 मिलियन रुपयों के मूल्य की 11 स्क्रिप।
ख) दिनांक 28.03.2013 को (27.09.2014 को समाप्ति की तिथि) 3175.8 मिलियन रुपयों के मूल्य की 3 स्क्रिप।

इन स्क्रिप का उपयोग स्पेयर, कार्यालय उपकरण, कार्यालय फर्नीचर तथा उपभोज्य वस्तुओं सहित किसी भी पूंजीगत वस्तुओं के सीमा शुल्क के भुगतान हेतु करने की अनुमति है। साथ ही नीति के अनुसार इन स्क्रिप का उपयोग सहायक कंपनियों सहित संबद्ध कंपनियों के लिए भी किया जा सकता है। तदनुसार कंपनी 31 मार्च, 2013 तक 47.7 मिलियन भारतीय रुपयों की राशि का उपयोग केवल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए कर सकती है।

तथापि निरंतर मामले को उठाए जाने के कारण कंपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) से यह स्पष्टीकरण ले सकी कि घरेलू स्रोतों से प्राप्त किए गए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु स्क्रिप का उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) ने भी सहमति दे दी है कि एसएफआईएस स्क्रिप का उपयोग उनके साथ किए गए अनुबंध के अनुसार एटीएफ पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। कंपनी एटीएफ क्रय के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए एसएफआईएम स्क्रिप के प्रयोग के लिए रीतियों का पता लगाने की प्रक्रिया में है तथा आशा करते हैं कि फरवरी, 2014 से इनका उपयोग किया जाना प्रारंभ हो जाएगा।

कंपनी ने 31 दिसम्बर, 2013 तक 318.6 मिलियन रुपयों का उपयोग कर लिया है तथा 2600.0 मिलियन रुपयों का उपयोग इन स्क्रिप की प्रारंभिक समाप्ति से पहले करने की संभावना है। तथापि पिछले अनुभव के अनुसार कंपनी को विश्वास है कि डीजीएफटी की नीति रिलेक्सेशन समिति द्वारा इन स्क्रिप की समाप्ति की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा जिससे कंपनी शेष बचे 4816.8 मिलियन रुपयों के पूरे मूल्य का उपयोग कर सकेगी। राजस्व सचिव, भारत सरकार को संबोधित नागर विमानन सचिव, भारत सरकार के दिनांक 22 अगस्त, 2013 के पत्र के तहत "अनुरोध किया गया कि एसएफआईएस स्क्रिप के लाभ को इनके जारी होने की तिथि से 18 महीनों से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया जाए क्योंकि एटीएफ पर उत्पाद शुल्क के लिए इन स्क्रिप के समायोजन की प्रशासनिक प्रक्रिया/विधि में स्पष्टता न होने के कारण इन एसएफआईएस स्क्रिप का उपयोग करने में काफी समय लग गया।" तद्नुसार वर्ष के दौरान 7416.8 मिलियन रुपयों के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पूरे मूल्य को लाभ एवं हानि विवरणी में असाधारण मद के रूप में क्रेडिट किया गया है। 31.3.2013 को प्राप्य बैलेंस में से उपयोग की गई ड्यूटी समायोजन का सीमा शुल्क प्राधिकारियों के रिकार्ड से मिलान किया जाना शेष है।

यह प्रस्तावित है कि दिनांक 31.03.2013 को 7369.1 मिलियन रुपए के उपयोग में नहीं लाई गई एसएफआईएस स्क्रिप का उपयोग बड़ी हुई अवधि में निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

1. 1259.1 मिलियन सीमा शुल्क के लिए
2. 4810.0 मिलियन रुपए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क के लिए
3. 1300.0 मिलियन रुपए सहायक कंपनी के उपयोग के लिए

45- कंपनी ने वित्त वर्ष 13–14 में 5 बी777–200 एलआर के विक्रय हेतु एक एयरलाइन के साथ क्रय और विक्रय अनुबंध किया है ताकि वह अपने विमान बेड़े को युक्तिसंगत बना सके और प्रचालनात्मक हानि को कम कर सके। 5 विमानों को 336.5 मिलियन रुपयों के मूल्य पर बेच दिया गया जिससे कंपनी इन विमानों पर लिए गए बकाया ऋण की अदायगी कर सकेगी। इस विक्रय से नकद हानि कम होने के अतिरिक्त अनुरक्षण लागत तथा ऋण के भुगतान तथा ब्याज देयता के संदर्भ में लगभग 100 मिलियन रुपए प्रतिवर्ष की बचत होगी। यद्यपि इस परिसंपत्ति का उपयोग विमान के शेष अवधि के लिए किया जा सकता था, कंपनी ने विमान को बेचने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण लंबी दूरी वाले मार्ग उच्च ईंधन मूल्यों के तथा न्यून लब्धि के कारण अलाभकर थे। तथापि चूंकि यह विमान वर्ष के अंत तक सक्रिय उपयोग में थे तथा हक स्थानांतरण वित्त वर्ष 2013–14 में किया जाना है अतः इसका लेखांकन विक्रय के वर्ष में किया जाएगा।

46- ckbx {kfr ifr

ckbx {kfr ifr@ØfMV

d½ ifjfuèkkfjr {kfr@vU; ØfMV

कंपनी ने 27 बी–787 विमानों की खरीद के लिए दिनांक 30.12.2005 को बोइंग के साथ क्रय अनुबंध किया। इस अनुबंध के अनुसार, इन विमानों की डिलीवरी सितम्बर, 2008 से अक्तूबर, 2011 तक होनी थी तथा अपरिहार्य देरी के मामले में 180 दिनों से अधिक होने पर कंपनी परिनिर्धारित हानि की हकदार होगी। सभी बी787 विमान की अनुसूचित डिलीवरी में 180 दिनों से अधिक देरी को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2011–12 तक 6846.5 मिलियन रुपयों की परिनिर्धारित क्षति के राजस्व की पहचान की है तथा इसे बोइंग क्षतिपूर्ति के हैड के तहत लाभ एवं हानि विवरणी में असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है। बोइंग इन विमानों की डिलीवरी के समय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए क्रेडिट नोट जारी करेगी।

तथापि इन विमानों की डिलीवरी में असाधारण देरी के कारण कंपनी ने बोइंग से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए कहा है। बोइंग असाधारण देरी के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हो गई है जो विमान की डिलीवरी होने पर ही कंपनी को दी जाएगी। वर्ष के दौरान कंपनी ने 6 बी787 विमान की डिलीवरी ले ली है तथा तदनुसार कंपनी को 1842.3 मिलियन रुपयों की राशि के क्रेडिट की अनुमति दे दी गई है। अतिरिक्त देरी से भुगतान, लीज सब्सिडी भुगतान, कार्य विश्वसनीयता, परीक्षण भुगतान, संबंधी भुगतान, 787 डीएफडीआर थ्रस्ट एंड स्टार एलाइन्स लिवरी के रूप में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त कंपनी के 6 विमानों की डिलीवरी में और देरी के कारण 165.6 मिलियन रुपयों के अतिरिक्त क्रेडिट की अनुमति भी दी गई।

कंपनी ने उपरोक्त 2007.9 मिलियन रुपयों के कुल क्रेडिट को विमानों की डिलीवरी में असाधारण देरी के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में लिया है। प्रबंधन का यह विचार है कि विमान की डिलीवरी में असाधारण देरी के कारण राजस्व हानि के लिए उपरोक्त क्रेडिट दिया गया तथा तद्नुसार बोइंग क्षतिपूर्ति के अधीन लाभ और हानि विवरण में असाधारण मद के रूप में क्रेडिट किया गया।

[k½ ch787 foeku d xkmM gku d dkj.k {kfr ifr

6 बी787 की डिलीवरी कंपनी को सितम्बर से दिसम्बर के दौरान की गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए), यूएसए के निदेशों के आधार पर डीजीसीए के निदेश के अनुपालन में कंपनी को जनवरी, 2013 में सभी 6 बी787 को अस्थायी रूप से ग्राउंड करना पड़ा। एफएए द्वारा अनुमोदित संशोधन योजना इन विमानों पर की गई तथा डीजीसीए/एफएए से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इन सभी 6 विमानों को वापस मई, 2013 में उड़ान पर लगा दिया गया। ग्राउंडिंग के कारण कंपनी को हुई हानि पर क्षतिपूर्ति का मामला बोइंग के साथ उठाया गया। बोइंग ने ग्राउडिंग अवधि के दौरान हुई हानि के लिए न्यूनतम क्षतिपूर्ति के लिए सहमति दे दी है। तदनुसार 17 फरवरी से 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान ग्राउंडिंग क्षतिपूर्ति को दर्शाता 793.1 मिलियन रुपए के अनुपातिक क्रेडिट को बोइंग क्षतिपूर्ति के हैड के अंतर्गत असाधारण मद के रूप में लिया गया है।

47- कंपनी द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार विमान की डिलीवरी के समय क्रमशः 312.7 मिलियन तथा 842.5 मिलियन रुपए की राशि के निर्माता तथा आपूर्तिदाता क्रेडिट हकदारी की पहचान अनुषंगिक राजस्व के रूप में की गई है।

48- fofue; njk e l'kkèku dk iHkko ¼,,l&11½

i) वर्ष 2008–09 में कंपनी ने लेखा मानक 11 से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम 2009 के समान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मैद्रिक मदों की रिपोर्टिंग से उत्पन्न हुए विनिमय अंतर का लेखांकन किया। निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर 2011 को अधिसूचना जीएसआर 913 (ई) तथा 914 (ई) के तहत संशोधन के क्षेत्र का विस्तार किया है जिसे कंपनी ने स्वीकृत किया है और संगत विवरण नीचे दिया गया है:

क) दीर्घकालिक मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग तथा निपटान के विनिमय अंतर की पहचान के संबंध में अनुच्छेद 8(ii) में बताई गई लेखांकन नीति के अनुरूप कंपनी ने वर्ष के दौरान 9434.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 18744.9 मिलियन रुपए) पूंजीबद्ध अंतरण अंतर तथा 305.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 113.3 मिलियन रुपए) की राशि को फोरेन करेंसी मोनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकांउट (एफसीएमआई) में स्थानान्तरित किया तथा 31.3.2013 को 588.1 मिलियन रुपए के दीर्घावधिक मौद्रिक मदों की शेष आयु में परिशोधित किया जाना है।

ख) कंपनी ने 31 मार्च, 2011 की अवधि के संबंध में कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 का चयन किया है, विनिमय अंतर को ऋण लागत पर लेखांकन मानक 16 के अनुच्छेद 4(ड.) के अनुसार अपेक्षित ब्याज लागत में समायोजित माना गया है जिसका अलग से निर्धारण नहीं किया गया है तथा जिसे संबंधित मूल्यह्रास हुई पूंजीगत परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा या घटाया गया है। प्रबंधन की राय में कंपनी के पास तुलनात्मक ब्याज दरें नहीं हैं तथा इन निधियों का स्रोत उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त का सही प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है।

ग) अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार कंपनी विमानों के अर्जन से संबंधित ऋण के रूप में, दीर्घावधिक वित्त व्यवस्था किए जाने से पहले, मध्यवर्ती अवधि के दौरान अल्पकालिक ऋण को संशोधित एएस–11 के अंतर्गत पूंजीबद्ध करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक मदें मान रही है।

ii) लेन–देन की जटिलताओं के कारण एएस–11 के प्रावधानों के अनुरूप विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों के क्लोजिंग बैलेंस में कुछ राशि (सही राशि निश्चित नहीं है) सम्मिलित है जिसे एफईडीएआई दरों पर बदला नहीं गया है। इन शेषों के बदले जाने का प्रभाव निश्चित नहीं है।

49- विदेशी मुद्रा ऋण की मूल राशि तथा स्थानीय मुद्रा ऋण पर ब्याज तथा विदेशी मुद्रा ऋण के अंतर को तथा लेखांकन नीति सं0 8(ii) में दर्शाए दीर्घावधिक मौद्रिक मदों के अलावा विदेशी मुद्रा ऋण की रिपोर्टिंग तथा निपटारे से उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा हानि/लाभ में लेखाबद्ध तथा लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जा रहा है। तथापि वर्ष के लिए हानि पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

50- नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 1993 के आदेश सं0 एवी.18013/44/92–एसीवीएल के अनुसार, वायुदूत का पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के साथ विलय किया जाना था तथा यह विलय कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए लंबित है। अतः इससे संबंधित किसी भी वित्तीय प्रविष्टि को कंपनी के बहीखातों में नही दर्शाया गया है। मंत्रालय के निदेशानुसार, कंपनी ने वायुदूत के कर्मचारियों को आमेलित कर लिया और वायुदूत की उपयोगी परिसंपत्तियों का उपयोग कंपनी द्वारा किया जा रहा है। चूंकि विलय अभी भी लंबित है, अतः परिसंपत्तियां और देयताएं अभी भी वायुदूत के बहीखातों में दर्शाई जा रही हैं। वायुदूत के निपटान खाते में शेष 38.5 मिलियन रुपए की राशि का मिलान किया जा रहा है।

51- कंपनी गैर–विमान सामग्री की खपत तथा स्क्रैप विक्रय के लिए पर्याप्त रिकार्डों को मेन्टेन करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार प्राप्त स्क्रैप विक्रय/उपभोग रिपोर्टों के आधार पर इनका लेखा–जोखा रखा जा रहा है।

52- अग्रदाय के लेखाकरण सहित स्टेशनों के लेन–देन के संबंध में स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रण में सुधार प्रगति पर है। सामग्री को जारी करने/ग्रैन को तैयार करने, सामग्री आदि को उधार लेने, कंपनी के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के संबंध में भंडार में आंतरिक नियंत्रणों को, जहां भी आवश्यक हों, उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने के लिए समीक्षा की जा रही है। विमान इनवेंटरी की आवाजाही को ऑनलाइन करने और उस पर रीयल टाइम कंट्रोल रखने के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान रैमको इनवेंटरी कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है।

53- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में है ताकि न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने पर विचार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रयोगकर्ता विभागों एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किए जाएं।

54- प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य दावे, बिना वेतन अवकाश, आपूर्तिदाता/अन्य पार्टियों से प्राप्त ब्याज के दावों की अनिश्चितता के कारण नकद आधार पर गणना की जाती है। अन्य स्टाफ दावे, गुम सामान दावे की पहचान नकद आधार पर की जाती है। आयटा देय राशि के लिए देय राशि की देयता, व्यय की देयताएं तथा निर्माता क्रेडिट से प्राप्त दावों/इनवॉयस की पहचान की जाती है।

55- _.k rFkk vfxze ¼nh?kZdkfyd rFkk vYidkfyd½] vU; ifjlEifÙk;k¡ ¼pkyw@xSj pkyw½

क) लगातार अपनाई जा रही प्रक्रिया का पालन करते हुए विमानन बीमा प्रीमियम का भुगतान प्रारंभ में अस्थायी आधार पर आकलित यात्री गणना/प्रस्थान गणना/कल–पुर्जों के उपभोग के आधार पर किया जाता है। वास्तविक

गणना/वास्तविक उपभोग के संदर्भ में समायोजन अंतिम गणना के समय किया जाता है। बीमा कंपनियों से प्राप्त होने वाली 439.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 366.0 मिलियन रुपए) की जमा राशि प्रीमियम, पुष्टि तथा समाधान के अधीन है।

ख) आय कर निर्धारण/अपील जिसमें कुल 424.3 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 201.1 मिलियन रुपए) की विवादित मांगें विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, के संबंध में कंपनी आशावान है कि मामलों का निर्णय उसके पक्ष में होगा, अतः इनका उल्लेख आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। कंपनी ने विभिन्न निर्धारण वर्षों में कुल 308.9 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 308.9 मिलियन रुपए) के अस्वीकृत टीडीएस क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं तथा कंपनी को इस संबंध में राहत मिलने की आशा है।

ग) बाहरी पार्टियों द्वारा स्रोत पर टीडीएस कटौती के संबंध में आयकर डाटा बेस (फार्म सं.26 ए एस) के साथ समाधान तथा टीडीएस प्रमाण पत्रों की अनुवर्ती कार्यवाही प्रगति पर है। तब तक के लिए इन्हें वसूली हेतु उचित माना गया है।

घ) कंपनी ने कुछ प्राप्यों तथा देयों के शेष का पुष्टिकरण मांगा है। तथापि तेल कंपनियों के अतिरिक्त, अधिकतर मामलों में पार्टियां ने उत्तर नहीं दिया। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष अनुबंध में नहीं है वहां पुनः समाधान की प्रक्रिया जारी है तथा परिणामी समायोजन का प्रभाव निश्चित नहीं है। प्रबंध वर्ग संबंधित पार्टियों को शेषों के पुष्टिकरण पत्रों को भेजने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बना रहा है।

ङ) प्राप्यों/देयों के शेषों में बेमेल क्रेडिटों/डेबिटों की कुछ मदें सम्मिलित हैं और उपयुक्त मिलान और समाधान हेतु लंबित होने के कारण इन्हें बही खातों के शेषों में दर्शाया गया है। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप प्राप्त ट्रेड की एजिंग का संकलन करते समय ऐसे बेमेल क्रेडिट जिनका डेबिट बकाया से मिलान नहीं है तथा देनदारों के खाते में शेष का समाधान प्रगति पर है। इन मदों के खुलासे का प्रभाव तथा कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार आकलित अनिश्चित ऋण के प्रावधान का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

च) "नगदी अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिमों में" दिनांक 31 मार्च, 2013 को अंतर–कार्यालय खाते में उन्हें प्रदान की गई निवल शेष के 10.5 मिलियन रुपए की राशि भी सम्मिलित है। उक्त शेष में दर्शाए गए समस्त डेबिटों और समस्त क्रेडिटों के संक्षिप्त विवरण संकलित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक लेखाकरण समायोजन, यदि कोई हो, तो उसे यथासमय कर लिया जाएगा।

छ) कंपनी ने वर्ष 2007 और 2010 के बीच स्टार एलाइंस में प्रवेश करने के लिए ज्वाइनिंग शुल्क के रूप में 639.4 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान किया था। चूंकि एकीकरण की प्रक्रिया बंद हो गई थी इसलिए उक्त राशि पूर्णरूप से प्रारंभिक वर्षों में ही दे दी गई थी। कंपनी के वित्तीय और प्रचालन निष्पादन में सुधार के कारण एअर इंडिया को स्टार एलाइंस में सम्मिलित होने के लिए पुनः आमंत्रित किया गया है और एकीकरण की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो चुकी है। तद्नुसार, कंपनी ने पहले किए गए प्रावधानों को पुनरांकित करने का निर्णय लिया जोकि एअर इंडिया की सदस्यता के स्टेट्स के आधार पर कुछ समय बाद परिशोधित कर दी जाएंगी।

56- uxnh vkSj cSad 'ks"k

क) नगदी शेष रखने वाले अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष जांच के अंतर्गत सम्पूर्ण नगदी शेष को सम्मिलित करने के लिए कैश इन हैंड और चैक इन हैंड की वर्ष के अंत में की जाने वाली प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग भी इस संबंध में अनुकूल तंत्र को विकसित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

ख) कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें बही खातों में दर्ज नगदी शेष प्रत्यक्ष जांच प्रमाण पत्रों से मेल नहीं खाता और कुछ मामलों में दिनांक 31.03.2013 को नगदी धारण करने से संबंधित पुष्टिकरण नहीं किया गया है। कुछ बैंक खातों जैसे भारतीय स्टेट बैंक और आंध्रा बैंक, नई दिल्ली के मिलान की प्रक्रिया अब भी चल रही है। पुष्टिकरण और मिलान के ऐसे लंबित मामलों के संबंध में सैप में दर्शाए गए शेषों को खातों में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक लेखाकरण समायोजन यथासमय कर लिए जाएंगे।

57- pkyw ns;rk,a

क) इनपुट क्रेडिट (सेनवैट) सहित सेवा कर प्राप्त किया जाना शेष है तथा स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस), आयकर के संबंध में धनवापसी प्राप्त की जानी शेष है, वैट, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस), व्यवसाय कर और एयरपोर्ट कर के खातों का मिलान फाईल किए गए रिटर्न/सांविधिक रिकार्डों के अनुसार किया जा रहा है।

ख) गैर कर योग्य सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के प्रत्यावर्तन की गणना अनुमानित आधार पर की जा रही है और गैर प्राप्य सेनवैट को संबंधित व्यय के भुगतान के समय राजस्व के खर्चे में लिख दिया जाता है। इस संबंध में सही रकम का पता लगाया जा रहा है। उसके पश्चात् आवश्यक समायोजन कर लिए जाएंगे।

ग) कंपनी द्वारा अपनाई जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार, आवश्यक विवरण के उपलब्ध नहीं होने के कारण जमा के कुछ मामलों तथा विमान रोटेबलों की देयताओं के मामलों के अतिरिक्त तीन वर्षों से अधिक पुरानी देयताओं को पुनरांकित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक समायोजन यथासमय कर लिया जाएगा।

घ) दिनांक 31.03.2013 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास शेष राशि की पुष्टि कर दी गई है। तथापि, उसका मिलान प्रक्रियाधीन है। ऑयल कंपनियों को विलंबित भुगतान प्रभार के रूप में प्रदत्त/देय 3038.3 मिलियन रुपए और टीडीएस/सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के 659.3 मिलियन रुपए की राशि "वित्तीय लागत" के अंतर्गत जोड़ दी गई है जैसे पिछले वर्षों में "अन्य व्ययों" में जोड़ा गया था और पिछले वर्षों से संबंधित प्रकटीकरण तदनुसार री–ग्रुप कर दिया गया है। इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसे भुगतान पर टीडीएस की देयता स्वीकार नहीं की गई है।

ड.) दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बही खातों में 2342.6 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3849.9 मिलियन रुपए) की राशि का सेवा कर बकाया है जिसका समाधान किया जा रहा है। तथापि सेवा कर रिकार्ड के अनुसार 1853.9 मिलियन रुपए के बकायों पर 586.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 564.3 मिलियन रुपए) के ब्याज का भुगतान किया गया है। देय जुर्माना, यदि कोई है, को निश्चित नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2013 को सेवाकर रिकार्ड के अनुसार सेवा कर देयता के 691.7 मिलियन रुपए की राशि छह महीने से अधिक समय से बकाया है जिसमें से 400.0 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान तुलन पत्र की तिथि के बाद कर दिया गया है।

च) 31.03.13 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित कंपनी की 2165.9 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 2768.4 मिलियन रुपयों) की राशि की टीडीएस देयता बकाया है। बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार उपरोक्त में से 229.9 मिलियन रुपयों की राशि छह महीनों से अधिक समय से बकाया है। बैलेंस शीट की तिथि के बाद 2026.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2689.0 मिलियन रुपए) की राशि का भुगतान कर दिया गया है। कुछ मामलों में, टीडीएस देयता, बिलों का भुगतान कर दिए जाने पर ही स्वीकार की जाती है और यदि टीडीएस, यदि कोई हो, 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार छह महीने से अधिक समय से अदा किया जाना शेष हो तो, ऐसी देयता के उपार्जन के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

छ) वरीयता एजेंट कार्यक्रम तथा कॉरपोरेट प्रोत्साहन राशि के 631.3 मिलियन रुपए का प्रावधान तदर्थ/आकलित आधार पर संबंधित प्रयोगकर्त्ता विभागों से प्राप्त इनपुट के अनुसार किया गया है और प्रावधान की आवश्यकता न होने के कारण पिछले वर्षों में दी गई तदर्थ राशि में से 288.8 मिलियन रुपए की राशि पुनरांकित कर दी गई है।

ज) विभिन्न विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए बिलों का लेखांकन/भुगतान तभी किया जाता है जब संबंधित विभिन्न प्रचालन विभागों द्वारा ऐसे बिलों में कटौती कर ली जाती है। एएआई/ डायल/अन्य विक्रेताओं द्वारा इन कटौतियों की पुष्टि नहीं की जाती है और इस प्रकार इन बिलों को समाप्त नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में खातों में कोई देयता/आकस्मिक देयता नहीं दर्शाई गई है क्योंकि इनका पता लगाया जाना अभी शेष है।

झ) लीगेसी ओएसिस/मैक्सी मर्लिन साफ्टवेयर में मेंटेन किए गए इनवेंटरी रिकार्डों के संबंध में इनवेंटरी से संबंधित वेंडर खाते हस्तान्तरण की तिथि तक लीगेसी अकाउंटिंग सिस्टम में मेंटेन किए गए थे। संचित शेषों को खातों के हस्तान्तरण के दौरान बाद में सैप में हस्तान्तरित कर दिया गया। लीगेसी साफ्टवेयर के अनुसार ये शेष सैप में स्थानांतरित किए गए शेषों से पूरी तरह से मेल नहीं खाते तथा इनवेंटरी से संबंधित इन खातों का सैप और रैमको में स्थानांतरण किए जाने के बाद मिलान किया जा रहा है। राशियों में अंतर के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं लग पाया है। विभिन्न वेंडर खातों और इनवेंटरी खातों (ओएसिस से संबंधित) से संबंधित अन्य संबद्ध खाता शीर्षों का आवश्यक लेखाकरण समाधान किया जाना है जिसे यथासमय करा लिया जाएगा।

ञ) दिल्ली एयरपोर्ट पर रूट नेविगेशन फेसिलिटी चार्जेज़ (आरएनएफसी)/टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्जेज़ (टीएनएलसी) के संबंध में वर्ष के दौरान हुए खर्च के बिल प्रस्तुत/प्राप्त नहीं हुए और इसलिए उनकी अनुपस्थिति में पिछले वर्षों की देयता की प्रवृत्ति/एएआई की ओर से प्राप्त सम्प्रेषण के आधार पर लेखों में 864.0 मिलियन रुपए का तदर्थ/अनुमानित प्रावधान कर दिया गया है।

58- वर्ष के दौरान सांविधिक देयताओं जैसे स्रोत पर काटा गया कर, पीएफ/ईएस आदि के भुगतान में कुछ विलंब हुआ। इस प्रकार के विलंबों के लिए ब्याज का भुगतान किया गया। पीएफ देयताओं के विलंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में छह महीने से

अधिक समय से 29.3 मिलियन रुपए की देयताएं बकाया हैं और ईएसआई के संबंध में इस राशि का पूरी तरह से पता नहीं लग सका है।

59- वर्ष के दौरान कोलकाता के एक कर्मचारी द्वारा कंपनी की निधियों में दुर्विनियोजन की एक घटना का पता चला है तथा मामला बाहरी एजेंसियों की जांच के अधीन है। सतर्कता विभाग द्वारा 11.6 मिलियन रुपए की राशि की धोखाधड़ी का पता लगाया गया जो 2005–2011 की अवधि के बीच का है। धोखा–धड़ी की राशि को संबंधित वर्षों के संगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। कर्मचारी से वसूल की गई 2.5 मिलियन रुपए की राशि को "जमा" के अंतर्गत रखा गया है। चूंकि जांच प्रगति पर है, अतः उक्त राशि को लेखाबद्ध नहीं किया गया।

60- वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षकों ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार चुनिंदा विदेशी स्टेशनों का दौरा किया और कुछ घरेलू लोकेशनों की भी समीक्षा की। तथापि इन स्टेशनों से प्राप्त संक्षिप्त विवरण के आधार पर पता चला है कि कुछ स्टेशनों पर लेखाकरण प्रविष्टियां सैप में की गई हैं और ये वर्ष के दौरान हुई आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रबंध वर्ग द्वारा इन स्टेशनों पर आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा की जा रही है।

61- jktLo lcaèkh ekeys

क) वर्ष के दौरान कंपनी ने यात्रियों के संबंध में अलिखित विक्रय के लिए 12.5 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 78.5 मिलियन रुपए) तथा कार्गो के संबंध में 95.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : शून्य रुपए) का प्रावधान सृजित किया है, जिसके लिए राजस्व का निर्धारण वहन के आधार पर किया गया था।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान, 157.0 मिलियन रुपए की राशि को पूर्वावधि समायोजन खाते के क्रेडिट में पुनरांकित कर दिया है जो समाप्त कर दिए गए 058 कोड के तहत हुई कुछ बिक्री पर लिए गए कर के रूप में 3 वर्षों से अधिक पुराने क्रेडिट शेष को दर्शाता है जिसकी अब कोई मांग नहीं है। तथापि अलग–अलग स्टेशन प्रबंधकों द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है।

ग) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अवार्ड के आधार पर कंपनी घरेलू प्रचालनों के संबंध में डाक राजस्व अर्जित करने के लिए जानी जाती रही है। मंत्रालय द्वारा केवल वर्ष 2009–10 तक की अवधि तक ही डाक दरों को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए वित्त मंत्रालय ने 30.57 रुपए प्रति केटीएम की डाक दर प्रदान की है। यद्यपि, कंपनी डाक विभाग को इस दर पर बिल देने में सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय से इसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है। समीक्षा के परिणाम प्रतीक्षित, डाक राजस्व की बिलिंग और लेखाकरण 29.92 रुपए प्रति केटीएम की पुरानी दरों पर किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2013 को डाक विभाग पर चालू बकाया 871.2 मिलियन रुपए है।

घ) प्राप्त हुए अनंतिम आंकड़ों के आधार पर दिए गए लेखों के अनुसार प्रचालन राजस्व में एअर इंडिया चार्टर लिमिटेड (एआईसीएल) से प्राप्त राजस्व शेयरिंग के 2227.0 मिलियन रुपए की राशि भी सम्मिलित है। लेखा परीक्षित शेषों का पुष्टिकरण एवं मिलान लंबित है।

62- buoasVjh

i) इनवेंटरी के शेष जो अब तक ओएसिस/मैक्सी मरलिन सिस्टम्स में मेंनटेन किए जा रहे थे, वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान, रैमको द्वारा विकसित एक ईआरपी पैकेज में स्थानांतरित कर दिए गए जोकि अब संपूर्ण कंपनी की एकीकृत विमान इनवेंटरी को मेंटेन करता है। संगठन में प्रचलित इनवेंटरी सिस्टम्स के ऊपर बेहतर नियंत्रण प्रदान करने और कंपनी द्वारा नियंत्रित विभिन्न इनवेंटरी तक ऑनलाइन व रीयल टाइम पहुंच प्रदान करने तथा विभिन्न स्थानों पर इनवेंटरी पर नियंत्रण की लागत को कम करने के लिए रैमको द्वारा इनवेंटरी पैकेज को कंपनी के लिए कस्टम बिल्ट किया गया है। इनवेंटरी की सभी मदों (वस्तुओं) को, चाहे वे वेयरहाउस में रखी हों या शॉप फ्लोर पर अथवा वर्क ऑर्डर खोलने हेतु प्रक्रियाधीन या रिपेयर एजेंसियों के पास हों, उन्हें इनवेंटरी में सम्मिलित कर लिया गया था। संपूर्ण इनवेंटरी डाटा बेस का दस्तावेज बनाना और उसे रैमको सिस्टम में हस्तान्तरित करना बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य थे क्योंकि दोनों विमान बेड़ों के पूर्व सिस्टम ने इनवेंटरी की उपलब्धता या उपभोग या आवाजाही की पर्याप्त सूचना सम्पूर्णता में नहीं दी थी। उसके द्वारा रैमको सिस्टम पर हस्तान्तरण किया जाने वाला मात्राओं और मूल्यों का दस्तावेजीकृत आधार, मुख्य रूप से इनवेंटरी में सम्मिलित की जाने वाली अनसर्विसेबल मदों की इनवेंटरी के मामले में, तुरंत उपलब्ध नहीं था।

ii) हस्तान्तरण की प्रक्रिया के दौरान, वह संपूर्ण इनवेंटरी जिसे विभिन्न स्थानों पर मेनटेन किया जा रहा था और जिसके लिए विभिन्न रूपों में अर्थात् ओएसिस, पुराने रैमको, मैक्सी मर्लिन में और मैनुअल रिकार्ड रखे गए थे, उनका मिलान कर लिया गया था और इन मात्राओं को रैमको प्रोजेक्ट टीम द्वारा उपलब्ध मूल्य आबंटित किया गया था तथा विभिन्न स्थानों/वेयरहाउसों के मामले में समाप्ति रिपोर्टों के आधार पर इनवेंटरी के अथ शेष (opening balances) दिनांक 28.05.2012 से (बोइंग विमान बेड़ा) और 26.11.2012 से (एयरबस विमान बेड़ा) रैमको सिस्टम में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

iii) इनवेंटरी के रूप में कंपनी के पास बड़ी मात्रा में मरम्मत योग्य वस्तुएं उपलब्ध हैं। किसी मरम्मत योग्य वस्तु (रिपेयरेबल) को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि कोई वस्तु जिसकी किफायत आयु कंपनी के प्रचालन चक्र (एक वर्ष) से अधिक हो और उसे आंतरिक रूप से या किसी बाहरी एजेंसी अथवा ओईएम (ओरिज़नल इक्युपमेंट मेनुफैक्चरर) से मरम्मत कराने के बाद पुनः इस्तेमाल किया जा सके। एक्सपेंडेबल वस्तुएं वे होती हैं जो आरंभिक निर्गम के समय ही खर्च हो जाती हैं। अन्य प्रमुख एयरलाइनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार भी, निर्गम के समय रिपेयरेबल्स का मूल्य नहीं लिखा जाता और एक अवधि के बाद उसे परिशोधित कर दिया जाता है।

iv) वर्ष 2011–12 में, रिपेयरेबल की लेखाकरण नीति में एक बदलाव किया गया था, जिसके द्वारा जो रिपेयरेबल वस्तुएं आरंभिक निर्गम के समय उपभोग के खर्चे में लिखी गई थीं वे रिपेयर के बाद नवीनतम उपलब्ध औसत मूल्य पर इनवेंटरी में वापस ले ली गई थीं जिसके कारण इनवेंटरी शेष में 3321.3 मिलियन रुपए जमा हुए। यह मुख्य रूप से कंपनी में अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं को संगत बनाने के लिए किया गया था। शेषों को रैमको में हस्तान्तरित कर दिए जाने के बाद इनवेंटरी की इन वस्तुओं को नवीनतम उपलब्ध औसत मूल्य पर दर्शाया जाना जारी है।

v) वर्ष 2012–13 के दौरान रिपेयरेबल वस्तुओं के संबंध में लेखाकरण नीति में पुनः बदलाव किया गया। रिपेयरेबल को अब केवल स्क्रैपेज (निपटान) के समय ही और उनके आयु के प्रचालन के दौरान उपभोज्य के रूप में दर्शाए जाएंगे और तब तक केवल मरम्मत प्रभार को खातों में दर्शाया जाएगा। इस बदलाव के बाद, इनवेंटरी के मूल्यों और मात्राओं, जिन्हें पिछले वर्ष से अग्रेनीत किया गया था, के अतिरिक्त वर्ष के दौरान खातों पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा :

   क) अनसर्विसेबल वस्तुओं (मरम्मत के लिए प्रतीक्षाधीन) की इनवेंटरी 12102.6 मिलियन रुपए जिन्हें पहले उपभोज्य के रूप में दर्शाया गया था, वापस इनवेंटरी में ले लिया गया है। इनमें 8425.5 मिलियन रुपए के रिपेयरेबल और 3677.1 मिलियन रुपए के एक्सपेंडेबल्स सम्मिलित हैं।

   ख) 2564.6 मिलियन रुपए तक की राशि की सर्विसेबल वस्तुओं की इनवेंटरी जो कि रिपेयरेबल थी और जिसे पहले उपभोग के खर्च में लिख दिया गया था उसे नवीनतम उपलब्ध औसत मूल्य पर चालू इनवेंटरी में सम्मिलित कर लिया गया है।

   ग) 14667.2 मिलियन रुपए की समग्र उपर्युक्त राशि "एक्सेप्शनल आइटम्स" के रूप में लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाई गई है।

vi) चूंकि वर्ष के दौरान वापस ली गई अनसर्विसेबल इनवेंटरी के संबंध में लागू भारित औसत लागत, रैमको में शेषों के हस्तान्तरण के समय तत्काल उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इन मामलों में मूल्यों को नवीनतम उपलब्ध भारित औसत दरों के अनुसार लिया गया था जिनकी राशि 5273.7 मिलियन रुपए थी और अन्य मामलों में वर्ष 2004–2012 के संबंध में कैटेलॉग कीमतों को, जहां भी उपलब्ध हों, 9393.5 मिलियन रुपए के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया था।

vii) वर्ष के दौरान वापस ली गई वृद्धिशील इनवेंटरियों के एवज़ में कंपनी ने निम्नलिखित के लिए प्रावधान किए हैं:

   क) रैमको में मूल्यों को सुधारने की प्रक्रिया जारी होने के कारण हस्तान्तरण के बाद पहचानी गई मूल्यांकन संबंधी सभी विसंगतियों को सुधारने हेतु अनसर्विसेबल के लिए 4319.9 मिलियन रुपए (जिसमें एक्सपेंडेबल्स से संबंधित 1479.8 मिलियन रुपए सम्मिलित हैं) का प्रावधान।

   ख) शेषों के हस्तान्तरण के बाद सर्विसेबल वस्तुओं के संबंध में मूल्य सुधार और मात्रा में अंतर के लिए 577.6 मिलियन रुपए का प्रावधान।

   ग) 1076.8 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान (रोटेबल्स के लिए 415.3 मिलियन रुपए सहित) क्योंकि अनसर्विसेबल/सर्विसेबल/रोटेबल वस्तुओं के मामले में रैमको में हस्तान्तरित की गई इनवेंटरी वस्तुओं की मात्राओं और मूल्यांकन के वास्तविक स्रोत का ठीक प्रकार से पता नहीं लगाया जा सका था क्योंकि मात्राओं और कीमत निर्धारण के संबंध में आरंभ से अंत तक इनकी जांच नहीं की जा सकी थी।

viii) कुछ ऐसे मामले भी अवश्य होंगे जिनमें प्रभार रहित (एफ ओ सी) वस्तुएं, दूसरे विमान से निकाली गई वस्तुएं और इनवेंटरी की ऐसी वस्तुएं जिन्हें विमान के साथ प्राप्त किया गया था, को मूल्यांकित करके ऊपर बताए गए मूल्यों पर इनवेंटरी में शामिल किया गया है। तथापि, इस स्तर पर इनकी वास्तविक मात्रा का पता लगाया जाना संभव नहीं है। अतः इस संबंध में कोई भी सुधार संबंधी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

ix) शेषों को, परियोजना टीम की साइन–ऑफ रिपोर्टों के आधार पर और विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए मूल्य एवं मात्रात्मक आंकडों के आधार पर हस्तान्तरण किया गया है। समय एवं मानवशक्ति की कमी के कारण सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया जा सका। हस्तान्तरण लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को प्रबंध वर्ग द्वारा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया

जाएगा और यदि कोई विसंगतियां पाई गईं तो उन्हें इनवेंटरी मिलान के लिए सृजित किए गए प्रावधान के अंतर्गत समायोजित कर लिया जाएगा।

x) वर्ष के अंत में खुले कार्य आदेशों के संबंध में रिपेयर्स के लिए जारी किए गए एक्सपेंडेबल्स/कन्ज्यूमेबल्स के लिए 963.8 मिलियन रुपए की कुल इनवेंटरी में से 481.9 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान किया गया है। पूरा किए गए कार्यों के संबंध में खुले कार्य आदेशों का मूल्यांकन जिन्हें सिस्टम पर दबाव के कारण दिनांक 31.03.2013 को बंद नहीं किया जा सका, उन्हें अब किया जा रहा है और आवश्यक लेखाकरण कार्रवाई यथासमय कर ली जाएगी।

xi) दिनांक 31.03.2013 को कंपनी के पास 7590.2 मिलियन रुपए की राशि जमा है जिसे अनसर्विसेबल वस्तुओं की मरम्मत के लिए रखा गया है तथा जिनकी मरम्मत आंतरिक रूप से या किसी मरम्मत एजेंसी से कराई जा सकती है अथवा उन्हें स्क्रैप किया जा सकता है, किन्तु तब भी दिनांक 31.03.2013 तक उनका मूल्यांकन पूरा किया जाना शेष था। तथापि, इस संबंध में लेखाकरण नीति के अनुसार मरम्मत लागत को अधिकतम सीमा तक माना जाएगा और इसीलिए इस संबंध में खुले कार्य आदेशों के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

xii) वर्ष के अंत में, 2509.9 मिलियन रुपए की इनवेंटरी वस्तुओं को बाहरी मरम्मत एजेंसियों के पास मरम्मत कार्य के लिए रखा गया है, जबकि इस संबंध में अनुमानित मरम्मतों के लिए खातों में 358.2 मिलियन रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31.03.2013 को इन बाहरी पार्टियों के पास शेष राशि का पुष्टिकरण लंबित है।

xiii) हस्तान्तरित इनवेंटरी के डाटा के आधार पर इनवेंटरी की पिछली आवाजाही से संबंधित डाटा रैमको सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। एयरबस विमान बेड़े से संबंधित लीगेसी सिस्टम में उपलब्ध 16680.6 मिलियन रुपए के मूवमेंट डाटा के आधार पर 1697.3 मिलियन रुपए तक की सर्विसेबल इनवेंटरी को नॉन–मूविंग माना गया है। चूंकि रैमको में डाटा अद्यतन का कार्य प्रक्रियाधीन है, अतः 972.3 मिलियन रुपए तक की नॉन–मूविंग इनवेंटरी को अप्रचलित घोषित करने का तदर्थ प्रावधान किया गया है। 6228.0 मिलियन रुपए की इनवेंटरी (इनवेंटरी मिलान हेतु किए गए तदर्थ प्रावधानों की राशि के समान) राशि उस इनवेंटरी से संबंधित है जिसके लिए लीगेसी सॉफ्टवेयर में कोई मूवमेंट डाटा उपलब्ध नहीं है और रिकॉर्ड्स में उपलब्ध डाटा के अनुसार ये वस्तुएं पिछले पांच वर्षों के मूवमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं पाई गई हैं और अप्रचलित इनवेंटरी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अप्रचलित इनवेंटरी हेतु अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान के लिए आवश्यक लेखाकरण कार्यवाही यथासम कर ली जाएगी। बोइंग विमान बेड़े के संबंध में खातों में 681.5 मिलियन रुपए का अप्रचलित (इनवेंटरी) का प्रावधान किया गया है।

xiv) सैप और रैमको के बीच इंटरफेस को स्थाई करना शेष है अतः रैमको से प्राप्त स्टोर के लेखाकरण डाटा को समरी लेवल प्रविष्टियों के माध्यम से सैप में प्रविष्ट किया जा रहा है। रैमकों में की जा रही समरी लेवल प्रविष्टियों के दृष्टिगत एयरबस इनवेंटरी के संबंध में वेंडर खातों का मिलान किया जाना शेष है। इनवेंटरी के अंत शेष का मिलान बी–खातों के अनुसार रैमको डाटाबेस से किया जा रहा है और ऐसे मिलान के बाद आवश्यक समायोजन कर दिया जाएगा। एमआरओ एप्लीकेशनों के लिए रैमको सिस्टम को आदर्श के रूप में उपयुक्त बनाए जाने के दृष्टिगत लेखाकरण की वास्तविक प्रकृति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब ही इंटरफेस में विलंब का मुख्य कारण है।

xv) स्थानांतरण और लेखाकरण नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप, इनवेंटरी के मूल्यों में वृद्धि के कारण 14667.2 मिलियन रुपए के कुल सकल क्रेडिट के सम्मुख मूल्यांकन में अंतर के प्रावधानों और शेष सुधारों के लिए 5974.4 मिलियन रुपए के तदर्थ प्रावधानों और उनके कारण वर्ष के दौरान हानि में कमी करते हुए लाभ–हानि के विवरण में विशेष वस्तुओं के लिए 8692.2 मिलियन रुपए की निवल राशि जमा कर दी गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2013 को रैमको में स्थानांतरित की गई इनवेंटरियों का सकल मूल्य 23189.2 मिलियन रुपए है जिसमें 11825.77 मिलियन रुपए की अनसर्विसेबल वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें 8771.32 रुपए के रिपेयरेबल्स और 3054.3 मिलियन रुपए के एक्सपेंडेबल्स तथा 11363.5 मिलियन रुपए की सर्विसेबल वस्तुएं शामिल हैं। मूल्यों और मात्राओं में सुधार के लिए 5974.4 मिलियन रुपए तथा अप्रचलित वस्तुओं के लिए 1653.8 मिलियन रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

लंबित अप्रत्याशित परिस्थितियों के संबंध में कंपनी का मानना है कि, जहां भी लागू हों, मूल्यांकन, मात्राओं और मरम्मत लागत में किसी भी अंतर की भरपाई के लिए ये प्रावधान पर्याप्त रहेंगे क्योंकि इस स्तर पर वास्तविक मात्राओं का पता लगाना संभव नहीं है। इन अंतरों को कंपनी वित्त वर्ष 2013–14 में प्रभावी करेगी और संबंधित प्रावधान में किसी भी प्रकार की अधिकता और कमी को बही खातों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाएगा।

63- खातों को सैप में स्थानांतरित किए जाने के बाद नॉन एयरक्राफ्ट इनवेंटरी जिसे पहले मेटीरियल मैनेजमेंट डिवीजन (एमएमडी) में मैनुअल रिकार्डों में मेंटेन किया जा रहा था, उसे सैप में हस्तान्तरित कर दिया गया है। एयरबस–320

इंजीनियरिंग बेस लोकेशनों के संबंध में, मैनुअल रिकार्डों में मेंटेन किए गए इन शेषों का वित्तीय रिकार्डों के साथ मिलान नहीं किया गया था और स्थानांतरित किए गए शेषों की राशि एमएमडी में उपलब्ध डाटा के बराबर है। हस्तान्तरित किए गए रिकार्डों की सत्यता का भी सत्यापन किया जा रहा है और इसीलिए 267.6 मिलियन रुपए की नॉन एयरक्राफ्ट इनवेंटरी के संबंध में हस्तान्तरित किए गए शेष लंबित सत्यापन, मिलान और आवश्यक लेखाकरण की कार्रवाई के अधीन है। इस संबंध में, संबंधित वेंडर खाते भी लंबित लेखाकरण समायोजनों के अधीन हैं। लेखाकरण नीति के अनुसार नॉन मूविंग इनवेंटरी की पहचान करने के लिए इन वस्तुओं की आवाजाही से संबंधित डाटा को भी संकलित किया जा रहा है।

64- कुछ वेंडरों के संबंध में, वर्ष के दौरान नॉन एयरक्राफ्ट इनवेंटरी से संबंधित ग्रान्स के एवज़ में प्राप्त हुए 53.0 मिलियन रुपए के इनवॉइस वित्त वर्ष 2013–14 में दर्शाए गए हैं जबकि उन इनवॉइस के एवज़ में किए गए भुगतान की गणना चालू वर्ष में वेंडरों के डेबिट के रूप में की गई है। इस प्रकार के दर्शाए गए इनवॉइसों से संबंधित जीआर/आईआर खाते में दर्शाए जाने वाले क्रेडिट का समायोजन वित्त वर्ष 2013–14 में कर दिया जाएगा।

65- कंपनी स्टैंडबाई उपकरणों/मशीन के कल पुर्जे/बीमा स्पेयर को इनवेंटरी के रूप में अपने पास रखती है चूंकि इनका प्रयोग विमान के परिशोधन के उद्देश्य से तथा रख–रखाव कार्य के साथ बाहरी मरम्मत के लिए भी किया जाता है।

66- वर्ष के दौरान, अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान से संबंधित लेखाकरण नीति में बदलाव के अनुसरण में ए–310 विमान बेड़े से संबंधित 591.6 मिलियन रुपए की राशि की इंजन पुर्जों की इनवेंटरी जो पिछले वर्षों में फेज आउट कर दी गई थी, वह वापस ले ली गई है क्योंकि उसे अन्य विमानों में इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रमाणित किया गया हैं। तदनुसार 583.9 मिलियन रुपए के प्रावधान को "अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं" के रूप में खातों में पुनरांकित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान हानि उस सीमा तक कम हुई है।

67- प्राप्त किए गए समस्त सामान/खर्च का दायित्व रैमको द्वारा सृजित डाटा के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को ग्रान्स एवं मार्गस्थ स्टोर विवरणी में दिए गए मूल्यों के अनुसार प्रदान किया गया है। आर एंड डी अनुभाग/सीमा–शुल्क विभाग/हाई सी में प्राप्त वस्तुओं के लिए, रैमको डाटा बेस से बाहर, उपलब्ध डाटा के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। ग्रान्स को तैयार करने में हुए विलंब और रैमको डाटाबेस से बाहर के ग्रान्स की गणना की प्रणाली तथा दायित्व के निर्धारण पर उसके परिणामी प्रभाव के संबंध में उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

68- e|cbl bVju'kuy ,;jikV fyfeVM ¼ek;y½

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मायल के बीच अनुबंध किया गया है जिसके तहत मायल को मुंबई एयरपोर्ट के विकास का दायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, मायल ने सूचित किया है कि एयरपोर्ट को विकसित करने के उद्देश्य से कंपनी को लीज़ पर दी गई भूमि (जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लीज़ पर ली गई थी) का कुछ भाग मायल को देना होगा।

अनुबंध के तहत ढहाई जाने वाली बिल्डिंगों का पुनः निर्माण कंपनी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक स्थानों पर मायल की लागत से किया जाएगा या मायल स्वीकृत फार्मूले के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। साथ ही, एयरपोर्ट पर अधिकृत भूमि/स्थानों पर मायल लाइसेंस शुल्क/किरायों में रियायत/छूट भी प्रदान करेगा।

मुंबई में मायल द्वारा एयरपोर्ट क्षेत्र में पुनः निर्माण तथा चल रहे विस्तार कार्यों के कारण, मायल द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक स्थान के बदले में एअर इंडिया द्वारा लीज पर ली गई भूमि मायल को सौंपने का कार्य प्रगति पर है। क्षतिपूर्ति (यदि कोई हो) सहित लीज पर दी गई कुल भूमि की व्यापक समीक्षा केवल विस्तार कार्य के पूर्ण हो जाने पर ही की जा सकती है। इस प्रकार लीज पर दी गई भूमि को मूल आबंटन के अनुसार लेखा खातों में ही दिखाया जा रहा है।

कंपनी के अनुसार दिनांक 31.03.2013 तक मायल को (पीएसएफ/यूडीएफ के अलावा) भुगतान की जाने वाली बकाया देयताएं 876.1 मिलियन रुपए हैं (पिछले वर्ष : 1650.6 मिलियन रुपए)। इसके अतिरिक्त, ब्याज सहित 1120.0 मिलियन रुपए तक की आकस्मिक देयताएं भी खातों में दर्शाई गई हैं (पिछले वर्ष : 161.8 मिलियन रुपए)। ऐसे विविध क्षेत्र हैं जहां मायल के साथ विवाद है जिनके लिए खातों में किसी प्रकार के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी के अनुसार ये दावे न्यायोचित नहीं हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूमि और स्थान के किराए के संबंध में दर/क्षेत्र में अंतर है, कंपनी के अनुसार सेवाकर देय नहीं है, बिजली प्रभार के संबंध में अधिक बिलिंग की गई है, पार्किंग प्रभार अधिक काटा गया है, इत्यादि। कंपनी केवल ग्राउंड हैंडलिंग पर रॉयल्टी के रूप में प्राप्त की गई राशि की देयता को ही स्वीकार करती है।

एअर इंडिया को मायल का लेवी परिपत्र जून, 2013 को ही प्राप्त हुआ जिसमें लेवी को पूर्वव्यापी रूप से अगस्त, 2011 से बिल किया गया। अतः इस संबंध में लेखांकन कार्रवाई 2013–14 में की गई। चूंकि राशि को एकत्रित कर उसे मायल को दिया जाना है, अतः प्रबंधन के अनुसार इसका लाभ–हानि खाते के ब्योरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पीएसएफ/यूडीएफ की बिलिंग ले जाए गए यात्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। तथापि, एअर इंडिया के खातों में विक्रय के आधार पर देयता दर्ज की जाती है चूंकि एयरपोर्ट कर/लेवी को भी किरायों के साथ लिया जाता है। मायल के साथ यह लेखा तथा पुष्टि, समाधान तथा लेखा समायोजन के अधीन यदि कोई हैं, जिसका यदि कोई प्रभाव है तो वह निश्चित नहीं किया जा सकता है।

69- dkphu bVju'kuy ,;jikVl fy0 ¼lhvkbZ,,y½

कोचीन में मैसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के साथ जून में हैंडलिंग करार समाप्त हो जाने के कारण एअर इंडिया ने स्वयं हैंडल की गई उड़ानों पर सीआईएएल लेवी की बढ़ी हुई दरों, हैंडलिंग के अधिकार की समाप्ति के कारण लाइसेंस शुल्क के भुगतान के दावे को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पद्धति किसी भी अन्य भारतीय एयरपोर्ट पर नहीं अपनाई जा रही है। वर्ष के दौरान इसका वित्तीय प्रभाव 29.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 31.6 मिलियन रुपए) रहा है। इस संबंध में 122.5 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 93.5 मिलियन रुपए) की आकस्मिक देयता दर्शाई गई है। खाते का मिलान किया जा रहा है।

70- fnYyh bVju'kuy ,;jikVl fy0 ¼Mk;y½

डायल ने 3 मई, 2006 को ऑपरेशन मैनेजमेंट तथा डेवलपमेंट एग्रीमेंट (ओएमडीए) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आई.जी.आई.एयरपोर्ट, दिल्ली अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। भूमि तथा स्थान से संबंधित देयों तथा थर्ड पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग रेवेन्यू शेयरिंग से संबंधित कुछ विवाद थे। एक सतत दीर्घकालिक तथा विशेष संबंध विकसित करने के उद्देश्य से पुराने देयों तथा अन्य देयों से संबंधित मदों के लिए एअर इंडिया तथा डायल के बीच दिनांक 14 अप्रैल, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के तत्त्वावधान में दिनांक 12.12.2012 को आयोजित बैठक में टी–3, आई.जी.आई.एयरपोर्ट स्थित नए लाउंज सहित जगह के किराए के समझौते के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए। तदनुसार, डायल के साथ किराया प्रभारों से संबंधित विवादों का निपटान कर लिया गया और खातों में आवश्यक लेखाकरण कार्रवाई कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएसएफ, डीएफ एवं यूडीएफ जैसे भुगतानों की मासिक किश्त देने के लिए आयटा क्लीयरिंग हाउस में अगस्त, 2013 से प्रभावी एक एस्क्रो खाता खोला गया है। इस खाते में 320.0 मिलियन रुपए का मासिक भुगतान किया जाता है जिसका समायोजन वास्तविक यात्री डाटा के आधार पर किया जाता है।

कंपनी के दिनांक 31.03.13 के रिकार्ड के अनुसार 3044.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष :4188.9 मिलियन रुपए) की तुलना में बकाया देय 2922.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3505.5 मिलियन रुपए) तथा ब्याज के दावे के 1201.4 मिलियन रुपए (संशोधित होकर 472.8 मिलियन रुपए) हैं। स्थान किराया/पार्किंग प्रभार तथा ब्याज के संबंध में कुछ विवाद थे जिन पर चर्चा विभिन्न चरणों में है। तदनुसार, 641.4 मिलियन रुपए की राशि आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाई गई है।

डायल से दिनांक 31.03.2013 का लेखा विवरण प्राप्त हुआ है परंतु जिसका क्षेत्र के खातों के साथ मिलान किया जाना और अंतरों का समाधान एवं उन्हें लेखाबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ये अंतर मुख्यतः पार्टी के द्वारा 62.0 मिलियन रुपए की लैंडिंग और पार्किंग राशि तथा 227.1 मिलियन रुपए की एडीएफ राशि के अधिक बिल जारी कर देने के कारण हुआ है जिसका एक बड़ा भाग अर्थात् 191.8 मिलियन रुपए की राशि को पार्टी द्वारा बाद के वर्ष में क्रेडिट नोट के माध्यम से समायोजित कर दिया था। 35.3 मिलियन रुपए के शेष का समाधान किया जा रहा है। देय राशि पर सेवा कर की देयता का भुगतान केवल आंशिक रूप से किया जाता है। हालांकि, डायल की ओर से शेष राशि की कोई अलग से पुष्टि नहीं की गई है। डायल के साथ ये खाते पुष्टि, समाधान तथा लेखा समायोजन के अधीन हैं।

71- Hkkjrh; foekuiÙku ikfèkdj.k ¼,,vkbZ½

(क) नागर विमानन मंत्रालय के तत्त्वावधान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ दिनांक 26.08.2013 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके माध्यम से एआईएल द्वारा एएआई को देय राशि का मंत्रालय द्वारा निर्धारण कर दिया गया। तदनुसार कंपनी के बही–खातों में लेखाकरण प्रविष्टियां कर दी गई हैं जिनका दिनांक 31.03.2012 को समझौता ज्ञापन के साथ समाधान किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में एएआई की ओर से की गई अनुवर्ती बिलिंग को समझौता ज्ञापन के अंतर्गत हुए समझौते के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। एएआई ने बकाया राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूल किया है जो कि विवाद का विषय रही है क्योंकि एआई द्वारा किए गए विलंबित भुगतानों से एएआई को कोई हानि नहीं हुई है। 760 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 के लिए देय राशि से संबंधित विलंबित भुगतानों पर ब्याज की कोई देयता या आकस्मिक देयता की पहचान नहीं की गई है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सका है क्योंकि इसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के खातों के अनुसार, 10335.6 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 9097.7 मिलियन रुपए) की स्थायी

देयता और 816.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः1412.8 मिलियन रुपए) की आकस्मिक देयता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ खाता पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है।

72- lxeiV fjikfVx

क) कंपनी एयरलाइन से संबद्ध व्यापार से जुड़ी है जो उसका मुख्य व्यापार सेगमेंट है, इसलिए सेगमेंट परिणामों का खुलासा नहीं किया गया है। भौगोलिक रूप से क्षेत्रवार अर्जित राजस्व के ब्यौरे (जिस क्षेत्र में बिक्री की गई, उस क्षेत्र में राजस्व आबंटित करके निकाले गए हैं) नीचे दिए गए हैं:–

(रुपए मिलियन में)

fooj.k	2011&12	2010–11
क) यू एस ए/कनाडा	15117-5	15327.3
ख) यू के/यूरोप	11546-4	9246.1
ग) एशिया (भारत को छोड़कर), अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया	25142-6	21777.6
घ) भारत	108471-9	100401.9
d|y	160278-4	146752-9

ख) कंपनी की प्रमुख राजस्व अर्जित करने की परिसंपत्ति उसका विमान बेड़ा है जिसे सुविधानुसार विश्वभर के रूट नेटवर्क पर तैनात किया जाता है। भौगोलिक सेगमेंट के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं के आबंटन का कोई उचित आधार नहीं है। परिणामस्वरूप क्षेत्रवार परिसंपत्तियों और देयताओं का खुलासा नहीं किया गया है।

73- lcfekr ikVh }kjk fd;k x;k yu&nu

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस–18) के अनुसार 'संबंधित पार्टी लेन–देन के विवरण' के बारे में यथा अपेक्षित घोषणाएं नीचे दी गई हैं :–

d- ie[k icaku deh ,o lcekh ¼31 ekp] 2013 dk vkj vc rd½

Ø-l-	uke	ckM e in	inuke
1.	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सैय्यद नासिर अली	कार्यात्मक निदेशक	संयुक्त प्रबंध निदेशक (13 जुलाई, 2012 से प्रभावी)
3.	श्री एस मछेन्द्रनाथन	सरकार द्वारा नामित	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय (19 नवम्बर, 2013 से पदमुक्त)
4.	डॉ. प्रभात कुमार	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (18 अक्तूबर, 2012 से प्रभावी)
5.	श्री विपिन कु. शर्मा	कार्यात्मक निदेशक	एसबीयू प्रमुख–एमआरओ (इंजन एवं कंपोनेंट) (30 सितम्बर, 2013 से पदमुक्त)
6.	श्री के.एम.उन्नी	कार्यात्मक निदेशक	एसबीयू प्रमुख–एमआरओ (एयरफ्रेम) (30 नवम्बर, 2013 से पदमुक्त)
7.	श्री एस. वेंकट	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक (वित्त)
8.	श्री ज्ञान दीपक बरारा	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक वाणिज्य (30 सितम्बर से पदमुक्त)
9.	श्री निखिल कुमार जैन	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक–कार्मिक (5 जुलाई, 2013 से प्रभावी)
10.	श्री गुरूचरण दास	स्वतंत्र निदेशक	प्रबंधन परामर्शदाता एवं लेखक (29 मई, 2013 से प्रभावी)
11.	डॉ. प्रेम व्रत	स्वतंत्र निदेशक	कुलपति एवं प्रोफेसर, आईटीएम यूनिवर्सिटी, गुडगांव (29 मई, 2013 को प्रभावी)
12.	श्री के.के.नोहवार	स्वतंत्र निदेशक	एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पीवीएसएम वीएम (29 मई,2013 से प्रभावी)
13.	डा. रविन्द्रा एच.ढोलकिया	स्वतंत्र निदेशक	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद (29 मई, 2013 से प्रभावी)
14.	सुश्री रेणुका रामनाथ	स्वतंत्र निदेशक	संस्थापक – मल्टीप्लस ऑल्टरनेट एसेट मैनेज़मैंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (29 मई, 2013 से प्रभावी)
15.	श्री पंकज श्रीवास्तव	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक – वाणिज्य (01 अक्तूबर, 2013 से प्रभावी)

वर्ष 2012–13 के दौरान तथा इस तिथि तक हुए परिवर्तन

Ø-l-	uke	ckMl e in	inuke
1.	श्री प्रशांत सुकुल	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (28 सितम्बर, 2012 से पदमुक्त)
2.	श्री हर्षवर्धन नियोटिया	स्वतंत्र निदेशक	प्रबंध निदेशक, अंबूजा रियल्टी डेवल्पमेन्ट लि0 (5 मार्च, 2013 से पदमुक्त)
3.	एयर चीफ मार्शल फली एच.मेजर (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	पूर्व वायु सेना प्रमुख (5 मार्च, 2013 से पदमुक्त)
4.	श्री एम.ए.युसुफअली	स्वतंत्र निदेशक	प्रबंध निदेशक, ईएमकेई ग्रुप, आबू धाबी, यूएई (27 जून, 2012 से पदमुक्त)

[k- ie[k icèku dfe;k d lkFk fd;k x;k yu&nu

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों के वेतन तथा परिलब्धियों स्वतंत्र निदेशकों की सिटिंग फीस (दिनांक 19 जुलाई, 2013 को आयोजित एआईएल की 54वीं बोर्ड बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार) को छोड़कर प्रमुख प्रबंध कर्मियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नहीं किया गया।

(ii) सामान्य तौर पर एयरलाइन व्यवसाय के लिए एयरलाइन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे लेन–देन को उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया है।

x- l;Dr dk; leg dh 0;oLFkk,

क. <u>बेंगलूरू में मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0 (एचएएल) के साथ संयुक्त कार्य समूह :</u>

वर्ष के दौरान, बेंगलूरू एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था के लिए एचएएल के साथ संयुक्त कार्य समूह व्यवस्था के तहत कंपनी को 15.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 15.0 मिलियन रुपए) का लाभ हुआ।

लंबित मुकदमे के कारण, एचएएल ने बेंगलूरू में एचएएल–एआई जेडब्ल्यूजी समझौते के तहत उपलब्ध कराए गए एआई लाभांश के 99.6 मिलियन रुपए (गत वर्ष – 99.6 मिलियन) की राशि के भुगतान को रोक दिया है।

ख. <u>मैसर्स सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज़ (सैट्स), सिंगापुर के साथ संयुक्त उद्यम :</u>

कुछ एयरपोर्टों पर एयरलाइन को जीएच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सैट्स, सिंगापुर के साथ 50:50 के इक्विटी अनुपात पर संयुक्त उद्यम अनुबंध किया था। यह ग्राउंड हैंडलिंग नीति पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में है। जेवी कंपनी का सृजन 20 अप्रैल, 2010 में हुआ। कंपनी के निर्माण से पहले, चूंकि हैदराबाद तथा बेंगलूरू एयरपोर्टों में क्रमशः 23 मार्च, 2008 तथा 24 मई, 2008 से प्रचालन प्रारम्भ हो गया था, एआई तथा सैट्स के बीच संयुक्त उद्यम एसोसिएशन ऑफ पर्सन (एओपी) के अधीन प्रचालन किया जाने लगा।

ग. वर्ष के दौरान, एआई सैट्स द्वारा एअर इंडिया को प्रदत्त अन्य सेवाओं और हैंडलिंग प्रभार के लिए कुल 2238.4 मिलियन रुपए का बिल जारी किया गया और एअर इंडिया द्वारा एआई सैट्स पर कुल 1552.0 मिलियन रुपए का बिल जारी किया गया। पिछले वर्षों के लेन–देन से संबंधित देय राशियों के निपटान के अनुपालन में 147.8 मिलियन रुपए की राशि बही खातों में एआई–सैट्स को देय राशि के रूप में जमा कर दी गई है। कंपनी के बही खातों के अनुसार 1150.0 मिलियन रुपए की कुल अग्रिम राशि का समायोजन करने के बाद दिनांक 31 मार्च, 2013 को एआई–सैट्स को देय बकाया राशि 527.7 मिलियन रुपए थी। एआई–सैट्स के साथ खातों का समाधान किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2013 को बकायों का पुष्टिकरण प्राप्त किया जाना शेष है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान एआई–सैट्स संयुक्त उद्यम को कर पश्चात् 340.4 रुपए का लाभ हुआ और 15 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की गई।

घ) वर्ष के अंत तक कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों अथवा उनके रिश्तेदारों पर किसी प्रकार का ऋण या क्रेडिट लेन–देन बकाया नहीं है जिसका कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत लेखों में प्रकटीकरण आवश्यक है।

ङ) कंपनी की राय में, विभिन्न एयरलाइनों, निजी पार्टियों के साथ किए गए समझौते जिन्हें 'ज्वाइंट ऑपरेशन/कोड शेयर एग्रीमेंट्स' कहा गया है, लेखा मानक (एएस–18) तथा (एएस–27) में उल्लिखित संयुक्त उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिए उन्हें उक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है।

74- icaèkdh; ikfjJfed%

¼#i;s fefy;u esa½

	fooj.k	2012&13	2011–12
¼d½	vè;{k o icaèk funs'kd वेतन और भत्ते (इसमें परिलब्धियों का मूल्य 0.04 मिलियन रुपए शामिल है) (गत वर्ष : 0.04 मिलियन रुपए)	1-5	1.3
¼[k½ (i)	dk;kZRed funs'kd वेतन और भत्ते (इसमें परिलब्धियों का मूल्य 0.2 मिलियन रुपए शामिल है।) (गत वर्ष : 0.2 मिलियन रुपए)	13-0	11.3
(ii)	भविष्य–निधि में अंशदान (गत वर्ष : 0.4 मिलियन रुपए)	0-5	0.4

fVIi.kh % भविष्य निधि से इतर सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में, चूंकि इन्हें वैश्विक आधार पर किया गया है, अतः कोई आबंटन नहीं किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय (बी पी ई) के दिनांक 29 नवंबर, 1964 के यथा संशोधित परिपत्र संख्या 2 (18)/पी सी/64 में निहित निदेशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 780 रुपये प्रति माह का भुगतान करने पर निजी यात्राओं सहित कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। कंपनी की नीति के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों को भी, 150 रुपये प्रति माह का भुगतान करने पर, निजी यात्राओं सहित कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

75- yht+

¼d½ foÙk yht+

(क) वित्त लीज़ के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2001 के बाद अर्जित विमान बेड़े तथा उपकरणों को एकमुश्त खरीद मान लिया गया है। लीज़ पर ली गई इन परिसंपत्तियों की लागत 205082.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष 198288.9 मिलियन रुपए) है। दिनांक 31 मार्च, 2013 को भविष्य की लीज़ बाध्यता 133575.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष 140685.9 मिलियन रुपए) है।

(ख) भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये पर देयताएं निम्नानुसार हैं :–

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	31 ekpZ 13 dks	31 मार्च, 12 को
क)	ब्याज सहित न्यूनतम लीज़ भुगतान की बकाया राशि। – एक वर्ष से कम अवधि में – एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम अवधि में – पांच वर्ष से अधिक अवधि में	 16909.3 70410.6 54280.6	 17546.8 65220.7 67854.3
	dqy	141600-5	150621-8
ख)	उपरोक्त (क) का वर्तमान मूल्य – एक वर्ष से कम अवधि में – एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम अवधि में – पांच वर्ष से अधिक अवधि में	 15071 65327.3. 53176.8	 15501.4 59291.2 65893.3
	dqy ¼*½	133575-1	140685-9
ग)	वित्त प्रभार	8025.4	9935.9

टिप्पणीः एलआईबीओआर को 0.5% मानते हुए ब्याज की गणना की गई।

¼[k½ vkWijsfVax yht+

क) कंपनी ने रद्द न की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर विमान लिए हैं। 31 मार्च, 2013 के अनुसार भविष्य का न्यूनतम लीज़ किराया भुगतान 5824.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 9265.4 मिलियन रुपए) है।

दिनांक 01 अप्रैल 2001 के बाद अर्जित लीज़ के लिए भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराए पर देयताएं निम्नानुसार हैं :–

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
क)	एक वर्ष से कम अवधि में	3274-6	3805.4
ख)	एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम	2549-5	5460.0
ग)	पांच वर्ष से अधिक अवधि में	0-0	0.0
	d|y	5824-1	9265-4

तथापि, अवधि से पूर्व लीज़ समाप्त करने पर समझौते की शर्तों के अनुसार जिसमें शेष लीज़ किराया तथा जल्द समाप्ति के कारण पट्टादाता को हुए घाटे जैसे स्वैप लागत, अनवाइंडिंग प्रभार इत्यादि का भुगतान पट्टाधारी को करना होगा।

लीज़ पर लिए गए विमानों के संबंध में 5322.4 मिलियन रुपए (गत वर्ष 4178.6 मिलियन रुपए) का लीज़ किराया व्यय, वर्ष के लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

ख) कंपनी ने विभिन्न आवासीय/वाणिज्यिक परिसर रद्द की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर लिए हैं। उपर्युक्त में से समाप्त लीज़ संबंधी विवरण संकलित किया जा रहा है।

ग) कंपनी ने वाहनों तथा कार्यालय उपकरणों को भी क्रय के विकल्प के साथ ऑपरेटिंग लीज़ पर लिया है जिनकी हकदारी अन्ततः अंतरित हो भी सकती है और नहीं भी। यह परिसंपत्तियां विभिन्न स्टेशनों पर हैं तथा संचित रूप से बहुत अधिक नहीं हैं। इस संबंध में भावी दायित्वों का पूर्ण विवरण संकलित नहीं किया जा सकता है, चूंकि राशि अधिक नहीं है अतः इसे प्रकट नहीं किया गया है।

76- ,;jykbu ,ykbM lfoZlst fy0 ¼,,,l,y½&i{.kdk LokfEkRo okyh lgk;d dEiuh

एआईएल और एएएसएल के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी एएएसएल को व्यापक आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करा रही है। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष के दौरान एएएसएल से इस प्रकार की प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक सहायता के लिए हैंडलिंग प्रभार और एटीआर/सीआरजे विमान के आंतरिक अनुरक्षण प्रभार वसूल किए गए हैं। तथापि, दिनांक 31 मार्च, 2013 को एएएसएल से कंपनी द्वारा 5649.9 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 4443.6 मिलियन रुपए) की राशि प्रापण योग्य है जोकि समाधान के अधीन है।

77- कंपनी की सहायक कंपनियों के संचित घाटे हैं तथा 31.03.2013 को इन कंपनियों के निवल मूल्य में कमी आई है। तथापि वर्तमान टर्न अराउंड योजना तथा पुनर्संरचना के चलते प्रबंध वर्ग के मतानुसार निवेश मूल्य के ह्रास को स्थायी नहीं माना जा सकता। अतः इस प्रकार के घाटे के लिए 729.5 मिलियन रुपए का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनियों को हुई संचित हानि से संबंधित सूचना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत अपेक्षित संलग्न विवरण में दी गई है। इन सहायक कंपनियों के प्रचालनों की निरंतरता के मद्देनज़र 31.03.2013 को बकाया 19351.1 मिलियन रुपए की राशि के अग्रिमों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया। (गत वर्ष : 13979.1 मिलियन रुपए)।

78- अन्य विदेशी एयरलाइनों के साथ कंपनी के विरुद्ध विदेश में एक क्लास एक्शन मुकदमा लंबित है, जिसके वित्तीय प्रभाव निश्चित नहीं हैं।

79- deZpkfj;ksa dks Hkxrku rFkk ikoekku

(क) 31 दिसंबर, 2006 तक की अवधि के लिए वेतन समझौते हेतु, वास्तविक देयता को अंतिम रूप देने तक तदर्थ आधार पर वेतन बकाया देयताओं में 3419.2 मिलियन रु. (निवल) (गत वर्ष 4149.7 मिलियन रु.) (निवल) की देयता शामिल है।

(ख) पी एस यू पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशानिर्देशों के अनुसार घाटे में चल रहे पी एस यू में कार्यरत कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती। कंपनी को 01 जनवरी, 2007 से घाटा हो रहा है अतः वेतन वृद्धि/समझौते के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) विलयित इकाई में वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जस्टिस धर्माधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2012 में मंत्रालय को सौंप दी थी। उसके आधार पर पायलटों तथा इंजीनियरों जिनके लिए धर्माधिकारी समिति ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन हेतु एक संदर्भ भेजे जाने की सिफारिश की थी, क्योंकि एक लाइसेंसधारी श्रेणी में होने के नाते वे डीपीई वेतनमानों में फिट नहीं बैठते, को छोड़कर प्रबंध वर्ग द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए युक्तिसंगत वेतनमान निर्धारित किए गए थे। कर्मचारियों की राय मांगते हुए सभी अन्य श्रेणियों की सीटीसी वेबसाइट पर डाल दी गई थी। उसके पश्चात्, शिकायतों के निवारण हेतु प्रबंध वर्ग द्वारा बनाई

गई विसंगति एवं दोष सुधार समिति के समक्ष अनेकों शिकायतें दर्ज कराई गईं। इसी बीच कर्मचारियों के एक वर्ग ने धर्माधिकारी समिति की कुछ सिफारिशों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और मामला न्यायाधीन है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बाद में पायलटों व इंजीनियरों के वेतन एवं भत्तों को उद्योग मानकों के अनुरूप युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रबंध वर्ग की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया। धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को लंबित करते हुए, प्रबंध वर्ग जुलाई, 2012 से धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को देय भत्तों की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर रहा है। न्यायालय में चल रहे मामले के लंबित परिणाम के दृष्टिगत 2361.4 मिलियन रुपए की बकाया राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(घ) टीएपी/एफआरपी के तहत कंपनी ने 10569 कर्मचारियों को दिनांक 01 फरवरी, 2013 से अपनी दो सहायक कंपनियों एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल) और एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (एआईएटीएसएल) में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त किया है। बाद में, एआईईएसएल में स्थानांतरित किए गए कर्मचारी प्रबंध वर्ग के निर्णय के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय में चले गए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के निर्णय को कायम रखा जिसके बाद वे कर्मचारी स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को दिनांक 09 मई, 2013 को प्रबंध वर्ग द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया कि वह स्थानांतरण की तिथि से 18 महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरित कर्मचारियों की स्वीकृत देयराशि, यदि कोई हो, का निपटान कर देगा। इसी प्रकार से, एआईएटीएसएल में स्थानांतरित किए गए कर्मचारी स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए चेन्नै उच्च न्यायालय चले गए और वह मामला न्यायाधीन है। दरों को अंतिम रूप दिए जाने और सहायक कंपनियों के प्रचालनीकरण के लंबित होने के कारण, कंपनी ने उपर्युक्त स्थानांतरणों को वर्ष 2012–13 के बही खातों में प्रभावी नहीं किया है।

(ङ) कुछ केबिन क्रू/पायलट यूनियनों के साथ हुए वेतन समझौते के अनुसार बही खातों में, अंतिम गणना होने तक उड़ान भत्तों के बकाया हेतु 500.4 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान किया गया है।

80- de|pkfj;k dk fgr ykHk

क) परिभाषित हित लाभ योजना का सामान्य विवरण

क. <u>उपदानः</u> उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को अधिवर्षिता, मृत्यु, स्थायी अशक्तता होने पर उपदान देय होता है।

ख. <u>छुट्टी नकदीकरणः</u> सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों तक की प्राधिकार छुट्टी के नकदीकरण के हकदार हैं। तथापि, प्राधिकार छुट्टी जिन्हें अब से पहले नकदीकरण कराए जाने की अनुमति थी, उस पर दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से रोक लगा दी गई है और कर्मचारियों को अब ऐसी छुट्टियों को लेना ही होगा। इस संबंध में 150.0 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

ग. <u>बीमारी की छुट्टी का नकदीकरणः</u> सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 120 दिनों तक की बीमारी की छुट्टी का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकते हैं कि कर्मचारी के खाते में उस समय कम से कम 60 दिन की बीमारी की छुट्टी शेष हों। वर्ष के दौरान, यह निर्णय भी लिया गया था कि दिनांक 01.07.2012 को सभी मौजूदा कर्मचारियों के जमा खाते में शेष बीमारी की छुट्टी फ्रीज हो जाएंगी और कर्मचारी केवल सेवानिवृत्ति के समय उन छुट्टियों का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकेगा कि उसने सेवानिवृत्ति के समय वे छुट्टियां समाप्त न कर दी हों। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि दिनांक 01.07.2012 के बाद जमा की गई बीमारी की छुट्टियों का नकदीकरण नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को वे छुट्टियां लेनी ही होंगी।

घ. <u>सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभः</u> कंपनी में सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

ङ <u>अन्यः</u> उपरोक्त के अतिरिक्त कम्पनी ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपहार प्रदान किए तथा सेवानिवृत्ति के समय उनके सामान को उनके गृह नगर तक पहुंचाने में हुए परिवहन संबंधी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की।

ख) परिभाषित अंशदायी योजना

<u>कर्मचारी भविष्य निधि :</u> भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कंपनी में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट है जो पात्र कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना को नियंत्रित करती है। कंपनी तथा कर्मचारी निधि में पी एफ वेतन का 10 प्रतिशत का अंशदान देते हैं जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

ग) <u>परिभाषित हित लाभ योजना–उपदान व सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएं (अनिधिबद्ध):</u>
लेखांकन मानक–15 के अनुसार घोषणा :–

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	minku		lsokfuof`Rr i'pkr fpfdRlk ykHk	
		31-3-13 dks vuqlkj	31-3-12 dks vuqlkj	31-3-13 dks vuqlkj	31-3-12 dks vuqlkj
(क)	fgr ykHk ck/;rk esa ifjorZu gsrq lkj.kh				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	8545.1	7930.2	1611.1	1572.6
	ब्याज लागत	714.3	643.0	132.9	127.3
	वर्तमान सेवा लागत	329.4	352.5	490.1	361.2
	पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0.0	0.0
	प्रदान किए गए हित लाभ	(1089.6)	(806.3)	(356.4)	(312.8)
	बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	1132.1	425.7	(82.7)	(137.2)
	o"kZ ds var esa ns;rk	9631-3	8545-1	1795-0	1611-1
(ख)	;kstuk ifjlaifRr;ksa ds mfpr ewY; gsrq lkj.kh%				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों	–	–	–	–
	का उचित मूल्य	–	–	–	–
	योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल अंशदान	1089.6	806.3	356.4	312.8
	प्रदान किए गए हित लाभ	(1089.6)	(806.3)	(356.4)	(312.8)
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
	;kstuk ifjlaifRr;ksa ij dqy chekafdd ¼ykHk½@gkfu	0-0	0-0	0-0	0-0
(ग)	chekafdd ¼ykHk½@gkfu dh LohÑfr lkj.kh				
	अवधि हेतु बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	1132.1	425.7	(82.7)	(137.2)
	अवधि हेतु परिसंपत्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–
	ykHk&gkfu [kkrs esa n'kkZ, x, chekafdd ¼ykHk½@gkfu	1132-1	425-7	¼82-7½	¼137-2½
(घ)	rqyu i= esa n'kkZbZ xbZ jkf'k%				
	वर्ष के अंत में देयता	9631.3	8545.1	1795.0	1611.1
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
	rqyu i= esa n'kkZbZ xbZ jkf'k	9631-3	8545-1	1795-0	1611-1
(ङ)	ykHk rFkk gkfu [kkrs esa n'kkZ, x, O;;%				
	वर्तमान सेवा लागत	329.4	352.5	490.1	361.2
	ब्याज लागत	714.3	643.0	132.9	127.3
	योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	–	–	–	–
	स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	1132.1	425.7	(82.7)	(137.2)
	पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0.0	0.0	0.0	0.0
	ykHk&gkfu [kkrs esa n'kkZ, x, O;;	2175-8	1421-2	540-3	351-3
(च)	rqyu i= lek/kku%				
	प्रारंभिक निवल देयता	8545.1	7930.2	1611.1	1572.6
	उपरोक्तानुसार व्यय	2175.8	1421.2	540.3	351.3
	नियोक्ता का प्रदत्त लाभ	(1089.6)	(806.3)	(356.4)	(312.8)
	ykHk&gkfu [kkrs esa n'kkZbZ xbZ fuoy ns;rk@ifjlaifRr;k	9631-3	8545-1	1795	1611-1
(छ)	o"kZ dk iz;qDr chekafdd%				
	छूट की दर	8.00%	8.25%	8.00%	8.25%
	वेतन वृद्धि दर	5.50%	4.00%	–	–
	चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति दर	–	–	5.50%	4.00%
	एट्रीशन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना में बदलाव किया है। ऐसे बदलाव के कारण बीमांकक द्वारा निर्धारित बीमांकन देयता के संक्षिप्त वित्तीय प्रभाव को अभी निश्चित नहीं किया गया है।

81- vkLFkfxr dj ifjlifUk;k

वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने लागत कटौती और राजस्व में वृद्धि के लिए अनेक पहल की जिसके परिणामस्वरूप प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार हुआ। इन उपायों में पूर्व एआई तथा आईए के मार्गों को पूर्णतः युक्तिसंगत बनाना तथा समान प्रचालनों वाले मार्ग नेटवर्कों को हटाना; कुछ हानि वाले मार्गों को युक्तिसंगत बनाना; कुछ अंतरदेशीय तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्रियों को और अधिक आकर्षित करने के लिए एकदम नए विमानों को लगाना; पुराने विमान बेड़े को फेज़ आउट करना तथा ग्राउंड करना; लीज़ पर लिए गए विमानों को वापस लौटाना; गैर–प्रचालनात्मक क्षेत्रों पर रोजगार में रोक लगाना; ईडी/आईबीओ की विदेश से भारत में तैनाती; कुछ स्थानों पर विदेशी ऑफलाइन कार्यालयों को बंद करना; एमआरओ राजस्व तथा कंपनी की भू–संपदा संपत्ति राजस्व में वृद्धि के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग; आईटी आधारभूत संरचना का उन्नयन तथा क्विक विन आईटी संसाधनों का कार्यान्वयन; एकल कोड तथा सैप ईआरपी आधारित समाधानों के लिए पीएसएस (यात्री सेवा प्रणाली) प्रारंभ करना; दिल्ली में एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्र तथा हब नियंत्रण केन्द्र की स्थापना; सहायक कंपनियों जैसे एआईएटीएसएल तथा एआईईएसएल का प्रचालन तथा मानवशक्ति व उपकरणों का स्थानांतरण एवं उन्हें स्वतंत्र लाभ केन्द्र मानना; मध्यम क्षमता वाले लंबी दूरी के मार्गों पर बी–787 विमानों को लगाना; एसबीआई कैप्स द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार व्यापक वित्तीय पुनःसंरचना योजना (एफआरपी) को लागू करना सम्मिलित है।

भारत सरकार ने वर्ष 2021 तक 302310 मिलियन रुपए की इक्विटी जिसमें 67500 मिलियन रुपए का अपफ्रंट इक्विटी इंफ्यूज़न सम्मिलित है; 45520 मिलियन रुपए (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2021) की नकद हानि को पूरा करने के लिए इक्विटी इंफ्यूज़न; 189290 मिलियन रुपए के गारंटिड विमान ऋण वित्तीय वर्ष 2021 के लिए इक्विटी प्रदान करने की अनुमति भी दे दी है।

भारत सरकार ने वर्ष 2009–10 से 31.12.2013 तक 122000 मिलियन रुपए की इक्विटी दे दी है। प्रचालनात्मक पैरामीटरों के संबंध में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में कंपनी के कार्य निष्पादन में महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया जिसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान नकद हानि में कमी हुई।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप एअर इंडिया ने वर्ष 2012–13 में ईबीआईडीटीए पॉज़िटिव स्टेटस हासिल किया है और वर्ष 2018 में इसे नकद पॉज़िटिव एवं वर्ष 2020 में पीएटी/नेटवर्थ पाज़िटिव होने की उम्मीद है।

अतः आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकृति केवल आस्थगित कर देयता के स्तर तक ही निम्नानुसार की जाती हैः–

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31-03-12 dk 'k"k	MhVh,@MhVh,y LohÑr ¼2012&13½	31-03-13 dk dqy MhVh,
¼d½ vkLFkfxr dj n;rk			
(i) स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित	55362.6	5904.3	61266.0
mi&tkM: ¼d½	55362-6	5904-3	61266-0
¼[k½ vkLFkfxr dj ifjlifUk;k			
(i) असमाहित मूल्यह्रास	47112.9	5904.3	53017.2
(ii) व्यावसायिक हानि	32127.9		32127.9
(iii) आयकर अधिनियम के तहत अन्य अस्वीकृतियां	4547.0		4547.0
mi&tkM: ¼[k½	83787-8	5904-3	89692-1
vkLFkfxr dj@¼n;rk½ ¼fuoy½	28425-2	0-0	28425-2

82- ifr 'k;j vk;

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk vuqlkj	31 ekp] 2012 dk vuqlkj
कर के पश्चात् तथा असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि)	¼65119-4½	(78253.1)
घटा : असाधारण मदें	¼10217-8½	(2655.7)
कर तथा असाधारण मदों के पश्चात् लाभ/(हानि)	¼54901-6½	(75597.4)
इक्विटी शेयरों की वेटिड एवरेज संख्या	5940687671	2450753425
असाधारण मदों से पहले ई पी एस (प्रति शेयर रुपए में)	¼11½	(31.9)
असाधारण मदों के पश्चात् ई पी एस (प्रति शेयर रुपए में)	¼9-2½	(30.8)

83- l{e] NkV ,o e>kys m|e fodkl vf/kfu;e

सूक्ष्म, छोटे एवं मझौले उद्यमों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है और एमएसएमई की पहचान के संबंध में एसएपी में मास्टर्स को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है और इसलिए संक्षिप्त आंकड़ा तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, सूक्ष्म, छोटे एवं मझौले विकास अधिनियम के तहत आने वाले ऐसे उपक्रमों को स्वीकृत किए गए स्तर तक का भुगतान सप्लायर की स्वीकृति से निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए विलंबित भुगतानों के लिए कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण नियत अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा।

84- कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैरा 4–डी(क) से (ड.) पैरा (घ) को छोड़कर (जो कंपनी पर लागू नहीं है) के संदर्भ में तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते का भाग निर्मित करने वाली लेखा टिप्पणियों में प्रकटन आवश्यकताओं के अनुपालन में छूट के लिए निगमित कार्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है। चालू/गैर–चालू, ट्रेड/अन्य रिसीवेबल्स तथा ऋणदाताओं और अन्य वस्तुओं का वर्गीकरण यथासंभव/व्यवहार्य सीमा तक किया गया है।

85- भारत सरकार द्वारा संबंधित अधिसूचना के अभाव में जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत टर्नओवर पर देय उपकर की अवधि तथा लागू दर विनिर्दिष्ट की जानी है, इसे निर्धारित नहीं किया जा सका, अतः इसका प्रावधान नहीं किया गया है।

86- ys[kkijh{kdks dks ikfjJfed

लेखा–परीक्षा शुल्क और व्ययों का विवरण निम्नानुसार है :

¼fefy;u #i;s esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
लेखा–परीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	6.0	6.0
लेखा परीक्षा शुल्क – गत वर्षों के लिए	0.0	2.0
आउट ऑफ पॉकेट व्यय *	1.9	2.4
dqy	7-9	10-4

*(भुगतान आधार पर लेखाबद्ध)

87- foÙkh; iqu% lajpuk ;kstuk

वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) जिसे कंपनी ने स्वयं को राहत पहुंचाने की दृष्टि से दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को कंपनी के मौजूदा कार्यशील पूंजीगत ऋणों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए दिनांक 01 अक्तूबर, 2011 से कार्यान्वित किया है। एफआरपी ने कंपनी को अल्पावधि ऋण (एसटीएल) और दीर्घावधि ऋण (एलटीएल), निधिबद्ध ब्याज आवधिक ऋण (एफआईटीएल) और मूल्यांकित कार्यशील पूंजी पर भारतीय रुपए के ऋणों की दरों में 12–13 प्रतिशत तक की ब्याज दरों को कम करके 11 प्रतिशत की एक समान फ्लोटिंग दर के रूप में राहत प्रदान की है।

नवम्बर–दिसम्बर, 12 में, कंपनी ने 9.8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 74000.0 रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए थे। एनसीडी से प्राप्त आय को एफआरपी ऋणदाताओं से लिए गए एसटीएल के पुनर्भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। एनसीडी जारी करने से कंपनी द्वारा ब्याज के भुगतान के रूप में राहत मिली है क्योंकि एसटीएल पर 11 प्रतिशत की एक समान फ्लोटिंग दर की ब्याज दर को एनसीडी पर 9.8 प्रतिशत तक कम कर दिया है। भारत सरकार उपर्युक्त एनसीडी पर ब्याज के निधिकरण हेतु इक्विटी पूंजी लाने के लिए भी सहमत हो गई है।

एफआरपी में भाग लेने वाले सभी बैंकों ने दिनांक 31 मार्च, 2013 को शेष राशियों की पुष्टि कर दी है। हालांकि, बैंकों द्वारा पुष्टि किए गए शेषों और एअर इंडिया द्वारा दर्शाए गए शेषों के बीच 113.5 मिलियन रुपए (बैंकों के अनुसार शेष राशि कम है) की राशि का अंतर है, जिसे नोट 5 के अंतर्गत अन्य देयता के रूप में दर्शाया गया है। इन अंतरों के एक भाग का मिलान हो गया है और बैंकों ने उसे संशोधित कर दिया है। दिनांक 31 मार्च, 2013 को शेष अंतर के मिलान हेतु बैंकों के साथ बातचीत जारी है।

एफआरपी में अनुबद्ध के अनुसार कुल 12 संपत्तियों में से चेन्नै और हैदराबाद की तीन संपत्तियों के लिए अचल संपत्तियों के उचित रेहन सृजित किए गए हैं।

टीएपी/एफआरपी के अनुसार भारत सरकार वित्त वर्ष 2021 तक 302310 मिलियन रुपए की इक्विटी लाने के लिए सहमत हो गई है जिसमें 67500 मिलियन रुपए की अपफ्रंट इक्विटी, 45520 रुपए के नगद घाटे के लिए इक्विटी इन्फ्यूज़न तथा 189290 मिलियन रुपए के गारंटीशुदा विमान ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन सम्मिलित है। सरकार नवम्बर–दिसम्बर, 12 में जारी की गई 74000.0 मिलियन रुपए की एनसीडी पर ब्याज के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन करने के लिए भी सहमत हो गई

है। एफआरपी के अनुपालन में वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार 60,000 मिलियन रुपए तक की इक्विटी इन्फ्यूजन कर चुकी है। इस प्रकार 31 मार्च, 2013 तक एफआरपी के अंतर्गत कुल 122000 मिलियन रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा चुका है।

वित्तीय बाधाओं के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सरकार से 85740 मिलियन रुपए की राशि का इन्फ्यूजन करने का अनुरोध किया था किन्तु उसने केवल 50,000 मिलियन रुपए का ही इक्विटी इन्फ्यूजन किया है जिसके कारण 35740 मिलियन रुपए का घाटा हुआ है। भारत सरकार ने कहा है कि विभिन्न मंत्रालयों को दिए गए बजट नियतनों में बचत पर निर्भर रहते हुए यह राशि मार्च, 2014 में एआई में इन्फ्यूज की जा सकती है। कंपनी को इक्विटी इन्फ्यूजन के 35740 मिलियन रुपए की शेष राशि 31.03.2014 तक मिलने का भरोसा है। इसी बीच, कंपनी की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पावधि कार्यशील पूंजीगत ऋण जुटाने के लिए भारत सरकार ने 20,000 मिलियन रुपए की गारंटी जारी की है। कंपनी ने वित्त मंत्रालय से वर्ष 2014–15 के बजट में विमान गारंटीशुदा ऋणों पर मूल राशि के पुनर्भुगतानों पर विनिमय दर परिवर्तन (टीएपी में उल्लिखित विनिमय दर की तुलना में) के प्रभाव को सम्मिलित करने के लिए आवेदन भी किया है। इसका प्रभाव 9260.0 मिलियन रुपए निकाला गया है।

88- xkbx dUlu

अपने प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कंपनी ने एक टीएपी तैयार किया है जो कंपनी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दोनों प्रकार के टर्न अराउंड के लिए आवश्यक है। टीएपी जिसकी जांच स्वतंत्र रूप से डिलॉइट द्वारा की गई है, पर कंपनी के अनुमानों के आधार पर एक एफआरपी तैयार किया गया है और उसे 01 अक्तूबर, 2011 से लागू किया गया है। इसमें अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुसार कंपनी के ऋणों के पुनर्भुगतान का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार अपफ्रंट इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में 67500 मिलियन रुपए, नकद घाटे की फंडिंग के लिए इक्विटी के रूप में 45520 मिलियन रुपए (2018 तक) एवं 189290 मिलियन रुपए के गारंटी शुदा विमान ऋणों की इक्विटी (वित्त वर्ष 2020 तक) के रूप में, वित्त वर्ष 2012–2021 तक कुल 302310 मिलियन रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन को भी अनुमोदित कर चुकी है। भारत सरकार नॉन–कन्वर्टीबल डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करने के लिए 74000 मिलियन रुपए की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी भी जारी कर चुकी है जिसकी आय बैंकों के अल्पकालिक ऋणों के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई है जिससे ब्याज का भार कम होगा। ये एनसीडी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशन (ईपीएफओ) के द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं। ये एनसीडी 19 वर्ष की परिपक्वता (मैच्योरिटी) के साथ जारी किए गए हैं और 9.8 प्रतिशत की ब्याज दर पर रखे गए हैं। भारत सरकार वर्ष 2015 तक 73 प्रतिशत और 2020 तक 75 प्रतिशत पीएलएफ की उपलब्धि का माइलस्टोन भी स्थापित कर चुकी है, लब्धि और उपयोगिता के मानदंड टीएपी के अनुसार होंगे। भविष्य में विमानों का अर्जन केवल रूट प्लानिंग एवं उपयोगिता पर आधारित होगा और वर्ष 2014–15 के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। एमआरओ और ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियां टीएपी में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार एक साथ की गई हैं। परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा और कार्गो और डाक राजस्व को टीएपी के अनुसार बढ़ाया जाएगा। कंपनी की मानव संसाधन नीति की समग्रता के आधार पर समीक्षा की गई है और संगठन के पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर स्थिति को ठीक करने के लिए बोर्ड द्वारा एक नया संगठनात्मक ढांचा अनुमोदित किया गया है। प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए एक एकीकृत आईटी सिस्टम पहले ही लगाया जा चुका है। इसमें कंपनी के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के एकीकरण के लिए दिल्ली में टी–3 पर एक एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (आईओसीसी) तथा हब नियंत्रण केन्द्र (एचसीसी) को स्थापित किया जाना सम्मिलित है। आईओसीसी और एचसीसी रूट नेटवर्क पर सभी उड़ानों का ऑन लाइन और रीयल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराएंगे और विमानों के इस्तेमाल को बेहतर बनाएंगे। टीएपी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और निर्धारित माइलस्टोन की तुलना में वास्तविक कार्य निष्पादन को समीप से मॉनीटर करने के लिए एक निगरानी (निरीक्षण) समिति भी बनाई गई है। यह निगरानी समिति एआई के प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने के लिए अब तक 6 बैठकें आयोजित कर चुकी है।

भारत सरकार एफआरपी के लागू होने के समय से अब तक इक्विटी के माध्यम से कंपनी को 122000 मिलियन रुपए प्रदान कर चुकी है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान एअर इंडिया को इक्विटी के रूप में 50000 मिलियन रुपए दिए गए थे। भारत सरकार के अनुमोदन हेतु अनुपूरक अनुदान में 35740 मिलियन रुपए की शेष राशि के लिए अनुरोध किया गया था। राजकोषीय दबाव के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एआई को यह राशि मार्च, 2014 में उपलब्ध कराई जाएगी जब वित्त मंत्रालय के पास विविध मंत्रालयों को किए गए बजट आबंटन के एवज में उनके वास्तविक उपयोग का विवरण उपलब्ध होगा और उपलब्ध अधिशेष राशि का नियतन एआई की इक्विटी आवश्यकता के लिए कर दिया जाएगा। भारत सरकार से एफआरपी के लागू होने के समय से वित्त वर्ष 2013–14 तक कंपनी द्वारा वहन की गई विनिमय हानियों के लिए इक्विटी के

माध्यम से अतिरिक्त राशि देने के लिए भी अनुरोध किया गया है। इस संबंध में एआई द्वारा किए गए इस अतिरिक्त अनुरोध की राशि 9260.0 मिलियन रुपए हैं।

कंपनी ने प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार करते हुए और कंपनी के नियंत्रण से बाहर विशेष परिस्थितियों अथवा घटकों पर रोक लगाते हुए वर्ष 2012–13 में सकारात्मक ईबीआईडीटीए स्तर प्राप्त किया है और कंपनी को वर्ष 2018 में कैश पॉज़िटिव तथा वर्ष 2020 तक पीएटी पॉज़िटिव होने की उम्मीद है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता और अपनी प्रचालन और वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार होने की उम्मीद है इसलिए गोइंग कन्सर्न के आधार पर लेखे तैयार किए जा रहे हैं।

89- पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया वहां, संकलन की व्यवहारिकता और उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ अनुकूल एवं तुलनीय बनाने के लिए, री–ग्रुप/री–अरेंज कर दिया गया है।

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि खातों के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियों तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

कृते एवं की ओर से
vkj- noUn dekj ,o ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./–
Mh-d- xIrk
पार्टनर
सदस्यता सं. 09032

कृते एवं की ओर से
dij VMu ,M diuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./–
jkts'k ikjljkedk
पार्टनर
सदस्यता सं. 074192

कृते एवं की ओर से
ih-d-d-th- ckykl cef.k;e ,M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./–
lh- je'k
पार्टनर
सदस्यता सं. 025985

बोर्ड के लिए एवं की ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
,l- odV
निदेशक – वित्त

हस्ता./–
dYiuk jko
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 फरवरी 2014

diuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 212 d vuikyu e lgk;d difu;k l lcf/kr fooj.k

	lgk;d diuh dk uke	Hkkjrh; gkVy fuxe fyfeVM	,vj bfM;k pkVl fyfeVM	,vj bfM;k ,;j Vkl ikV lfol t fyfeVM	,vj bfM;k bthfu;fjx lfol t fyfeVM	,;j ykbUl ,ykbM lfol t fyfeVM	ok;nr fyfeVM
1.	सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति	31, मार्च, 2013	31, मार्च, 2013	31, मार्च, 2013	31, मार्च, 2013	31, मार्च, 2013	31, मार्च, 2013
2.	उपर्युक्त तारीख को कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी के धारित शेयर						
	क) संख्या एवं अंकित मूल्य	4,060,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/–रुपये के पूर्णतः चुकता	3,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/–रुपये के पूर्णतः चुकता	50,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/–रुपये के पूर्णतः चुकता	50,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/–रुपये के पूर्णतः चुकता	225,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/–रुपये के पूर्णतः चुकता	364,200 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000/–रुपये के पूर्णतः चुकता
	ख) धारिता की मात्रा	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	सहायक कंपनी के उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लाभों/(हानियों) की शुद्ध सकल राशि, जहां तक उनका संबंध इस कंपनी के सदस्यों से है :						
	क) कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों में समाहित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों में असमाहित (रुपये हजार में)	(356,153)	(3,511,486)	5,064	(21)	(1,333,856)	(913)
4.	उसके सहायक कंपनी बनने के बाद से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए लाभों/(हानियों) की शुद्ध सकल राशि, जहां तक उनका संबंध इस कंपनी के सदस्यों से है :						
	क) कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों में समाहित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों में असमाहित (रुपये हजार में)	(655,511)	(17,084,159)	(29,611)	(981)	(6,976,327)	(2,580,849)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
¼jkfgr unu½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
¼,l- odV½
निदेशक–वित्त

हस्ता./–
¼dYiuk jko½
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16.04.2014